विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश

एक पुस्तिका

आवास और भूमि
अधिकार संगठन

अभियान पर अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

आवास और भूमि अधिकार संगठन
(हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क)
ए-1 निज़ामुद्दीन पूर्व, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर
नई दिल्ली - 110 013
फोन +91 (0) 11 4054 1680
ईमेलः contact@hlrn.org.in

हिन्दी द्वितीय संस्करणः सितम्बर 2011
नई दिल्ली

हिन्दी अनुवाद, संपादन, साज–सज्जा एवं मुद्रणः **कृति टीम**
space.kriti@gmail.com, http://krititeam.blogspot.com

इस पुस्तिका का अनुवाद अंग्रेजी में प्रकाशित 'हैंडबुक ऑन यूएन बेसिक प्रिंसिपल्स एण्ड गाईडलाइन्स ऑन डेवलपमेण्ट बेस्ड इविक्शन्स एण्ड डिसप्लेसमेन्ट '(सेकेण्ड एडिशन, नवम्बर 2008)' से किया गया है। हालांकि अनुवाद में पूरी कोशिश की गई है कि शब्दार्थ सही रहें, परन्तु पाठकों से अनुरोध है कि यदि उन्हें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नज़र आती है तो वे कृपया मूल अंग्रेजी की प्रति देखें।

इस पुस्तिका में प्रकाशित विषय वस्तु का किसी भी शोध कार्य एवं अनुवाद इत्यादि के लिए साभार सहित उपयोग किया जा सकता है।

विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश

एक पुस्तिका

आवास और भूमि अधिकार संगठन
(हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क)

विषय-सूची

विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन पर
संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश

परिचय 3

दिशानिर्देशों का सारांश 13

दिशानिर्देशों का पूरा विवरण 22

शब्दावली 45

■ परिचय

उपयुक्त आवास का अधिकार एक मानव अधिकार है

हालांकि दुनिया के अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार के निवास में अपना जीवन बसर करते हैं, पर यह सच है कि विश्व की आधी आबादी को उपयुक्त आवास के लिए ज़रूरी मूल सुविधाएं मुहैया नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून तथा उसकी व्याख्या में यह स्पष्ट है कि केवल चार दीवारों और एक छत के भौतिक ढांचे को उपयुक्त आवास का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह तो इससे कहीं ज़्यादा व्यापक अवधारणा है जिसमें वे भौतिक व गैर-भौतिक तत्व समाहित हैं जो एक सुरक्षित और उपयुक्त आवास के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा उपयुक्त आवास एक चाहा जाने वाला लक्ष्य मात्र नहीं है; यह सभी इंसानों के लिए एक बुनियादी मानव अधिकार है। 1948 के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र *(यूडीएचआर)* में इस बात पर साफ़ तौर पर ज़ोर दिया गया है कि उपयुक्त आवास का अधिकार, एक उपयुक्त जीवन स्तर के हक़ को सुनिश्चित करने की बुनियादी ज़रूरत है।

यूडीएचआर की धारा 25 (1) के अनुसार, *प्रत्येक इंसान को अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य व बेहतरी के लिए उपयुक्त जीवन स्तर के अधिकार का उपयोग करने का हक़ है। इसमें भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य व ज़रूरी सामाजिक सेवाएं तथा बेरोज़गारी, रोग, विकलांगता, वैधव्य, बुढ़ापा व अपने वश के बाहर कारकों से उत्पन्न आजीविका के अभाव के फलस्वरूप पैदा हुई परिस्थितियों में सुरक्षा का अधिकार शामिल हैं। यूडीएचआर* में दर्ज प्रावधानों को मद्देनज़र रखते हुए, 1966 में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय उपसंव्दा *(आईसीईएससीआर)* के ज़रिए उपयुक्त आवास के अधिकार का विस्तार करके इसे पुनः स्वीकार किया गया था। इसकी धारा 11 (1) के अनुसार, *इस उपसंव्दा को समर्थन देने वाले राज्य, हर व्यक्ति व उसके परिवार के लिए उपयुक्त जीवन स्तर के अधिकार, जिसमें उपयुक्त भोजन, कपड़ा, आवास व रिहाइश के हालातों की निरन्तर बेहतरी शामिल है, के प्रति वचनबद्ध हैं।*

उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने 'उपयुक्त आवास' के मानव अधिकार को कुछ इस तरह परिभाषित किया है – *प्रत्येक महिला, पुरुष,*

युवा व बच्चे को सुरक्षित घर व समुदाय, जिसमें वह शांति और सम्मान के साथ रह सके, हासिल करने का हक़।[1]

उपयुक्त आवास का मानव अधिकार व भूमि का अधिकार एक सम्मानयुक्त जीवनयापन का अहम् हिस्सा हैं। इसलिए भूमि के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में स्वीकार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उपयुक्त आवास के मानव अधिकार से जुड़े होने के अलावा भूमि का मानव अधिकार अन्य मानव अधिकारों, मसलन भोजन, श्रम, स्वास्थ्य, व्यक्ति व निवास की सुरक्षा के साथ भी जुड़ा है।

हालांकि भारत ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों का अनुसमर्थक है जो उसे उपयुक्त आवास के मानव अधिकार की गारंटी और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, फिर भी यह मूल मानव अधिकार बड़ी तादाद में ग्रामीण व शहरी भारतीयों की पहुंच से बाहर है।

सन् 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत की 286 करोड़ शहरी आबादी में से 23% लोग झोपड़पट्टियों में बसते हैं। वास्तविक संख्या शायद इससे अधिक ही होगी क्योंकि इस सर्वेक्षण में 607 शहरों को ही शामिल किया गया था। परन्तु यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के बड़े शहरों की अधिकांश आबादी झोपड़पट्टियों में ही रहती है। नागरिक समाज के आंकड़ों के अनुसार मुंबई की 60% और दिल्ली की 50% आबादी झोपड़पट्टियों में रहती है। अगर इस गणना में निम्न स्तरीय आवास में रहने वाले लोगों को भी शामिल किया जाए तो यह संख्या और बढ़ जाएगी। इसका अर्थ यह है कि देश की शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा उपयुक्त आवास व उससे जुड़ी मूल सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व रिहाइशी परिस्थितियां और अधिक निराशाजनक हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शहरों में 25.7 करोड़ आवासीय इकाइयों की कमी थी, और अनुमानित है कि ग्यारहवीं योजना (2007-12) की अवधि के दौरान यह कमी 26.53 करोड़ होगी।[2] इस आवासीय कमी का 99% हिस्सा आर्थिक रूप से पिछड़े व अल्प आय समूह वर्ग का है। यह सच्चाई हालात को और अधिक गंभीर बना देती है।[3] 2007-12 के बीच कुल शहरी आवासीय कमी 47.43 करोड़ तक अनुमानित की गई है, जिससे 90% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार प्रभावित होते हैं।[4]

भारतीय संविधान के तहत उपयुक्त आवास के मानव अधिकार की सुरक्षा

भारत का संविधान स्वतंत्रता, भाईचारे, समानता और न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित है। हालांकि उपयुक्त आवास का अधिकार बुनियादी अधिकारों की श्रेणी में स्पष्टता से दर्ज नहीं किया गया है, फिर भी इसे संविधान में दिए गए अन्य बुनियादी अधिकारों और मार्गदर्शक सिद्धांतों में विशेष रूप से समाहित किया गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खासतौर पर उपयुक्त आवास के अधिकार को भारतीय संविधान की – धारा 21 द्वारा जीवन के अधिकार के तहत, बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इस धारा के अनुसार, *किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बेदखल नहीं किया जा सकता, जब तक यह कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत मान्य न ठहराया जा सके।* अनेक महत्वपूर्ण अदालती निर्णयों में – धारा 21 के तहत जीवन के अधिकार और उपयुक्त आवास के अधिकार के बीच संबंध को स्पष्टता से स्थापित किया गया है।[5]

भारतीय संविधान द्वारा दिए गए बुनियादी अधिकारों में निम्न शामिल हैं:

- कानून के समक्ष समानता – *धारा 14;*
- धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं – *धारा 15 (1);*
- महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षात्मक भेदभाव के आधार पर विशेष प्रावधान – *धारा 15 (3);*
- राज्य अधिकृत किसी भी नियुक्ति व रोज़गार में समान अवसर – *धारा 16;*
- भारत के किसी भी हिस्से में आवाजाही की स्वतंत्रता – धारा 19 (1) (d);
- भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता – *धारा 19 (1) (e);*
- सभी नागरिकों को कोई भी पेशा करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार अपनाने का अधिकार – *धारा 19 (1) (g);*
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार – *धारा 21।*

ये सभी अधिकार उपयुक्त आवास और भूमि के मानव अधिकार की गारंटी और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उपयुक्त आवास के मानव अधिकार की सुरक्षा

अनेक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समझौतों में कानूनी रूप से दर्ज है कि सभी राज्य, उपयुक्त आवास का मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है। इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में मुख्य हैं – सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र; आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय उपसंव्दा (धारा 11.1); बाल अधिकार प्रतिज्ञा-पत्र (धारा 27.3); महिलाओं के प्रति भेदभाव के समस्त रूपों के बहिष्करण के प्रतिज्ञा-पत्र *(सीडो)* की धारा 14.2 (h) में दर्ज भेदभाव हटाने वाले प्रावधान तथा नस्ल आधारित भेदभाव विरोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र की धारा 5 (e) में दर्ज प्रावधान।

आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय उपसंव्दा की धारा 11.1 में दर्ज उपयुक्त आवास अधिकार की विषय-वस्तु को आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार कमेटी *(सीईएससीआर)* ने अपनी सामान्य टिप्पणी *(जनरल कमेन्ट)* 4 में परिभाषित किया है।[6] इसके अनुसार आवास के 'उपयुक्त' होने का पैमाना निम्न सात मूल घटकों पर निर्भर हैः

- काश्तकारी अवधि की कानूनी सुरक्षा
- सेवाओं की उपलब्धि
- कीमत या आर्थिक मूल्य
- पहुंच
- वास-योग्यता
- उपयुक्त स्थान
- सांस्कृतिक अनुकूलता।

'उपयुक्तता' के इन पैमानों का नागरिक समाज संस्थाओं तथा उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने और विस्तार करके इनमें भौतिक सुरक्षा; भागीदारी व जानकारी; भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच; बेदखली से आज़ादी, क्षति विनाश, पुनर्वास, पुनर्स्थापन, मुआवज़ा, अवरोध-रहित व वापसी; प्रतिकार आधारित सुविधाओं तक पहुंच; शिक्षा व सशक्तता, और महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा से आज़ादी, को भी शामिल कर दिया है।[7]

जबरन बेदखली, भूमि व उपुयक्त आवास के मानव अधिकार के विरोधी है

सीईएससीआर द्वारा 1997 में अपनाई गई सामान्य टिप्पणी 7, में 'जबरन बेदखली' को इस तरह परिभाषित किया गया है, ''*व्यक्तियों, परिवारों व समुदाय को उनकी ख्वाहिश के विरुद्ध उस भूमि या घर, जिस पर उनका कब्ज़ा हो, और जिसके लिए जायज़ कानूनी व अन्य सुरक्षा प्रावधान न हों, से स्थाई या अस्थाई तौर पर हटा देना।*''[8]

इसके अलावा जबरन बेदखली, उपयुक्त आवास के मानव अधिकार का उल्लंघन है और बेघरबारी को बढ़ाता है। इस विचार को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के प्रस्ताव 1993/77 व 2004/28 में भी पुनः दोहराया गया है।

सीईएससीआर की सामान्य टिप्पणी 7, राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करती है कि वे, ''*निजी व्यक्तियों व संगठनों द्वारा उचित रक्षा कवच के अभाव में की गई जबरन बेदखली से बचाव करने, और ज़रूरी हो तो, सज़ा देने के लिए कानूनी व अन्य तरीके सुनिश्चित करें।*''

फिर भी, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में जबरन बेदखली के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। इसके अनेक कारण हैः ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्माणाधीन विशाल ढांचे व विकास के नाम पर चल रही परियोजनाएं, जैसे बांध, खदान व बंदरगाह, शहरी विस्तार व नवीनीकरण, शहरों का ''सौन्दर्यकरण'', खेलकूद के बड़े कार्यक्रम, औद्योगिक विकास (जिसमें कृषि भूमि पर कब्ज़ा शामिल है)। नतीज़न इन सभी प्रक्रियाओं के चलते कई व्यक्तियों और समुदायों को अपने घरों एवं रिहाइशी स्थलों से बेदखल होना पड़ रहा है। उचित बहाली और पुनर्वास के अभाव में इन कारकों ने आवास और उत्तरजीविका की कमी को और अधिक प्रखर बना दिया है।

जबरन बेदखली की वजह से अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का भी उल्लंघन होता है, जैसे मसलन, व्यक्ति की सुरक्षा और निवास सुरक्षा के मानव अधिकार। कुछ अन्य मामलों में, जहां जबरन बेदखली के साथ हिंसा जुड़ी हो और उचित प्रक्रिया का अभाव हो, वहां इससे स्वास्थ्य, भोजन, जल, आजीविका, शिक्षा, क्रूर, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता व आवाजाही की स्वायत्तता के मानव अधिकारों का भी हनन् होता है।

जबरन बेदखली का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारीगण लोगों के कई हक़ों का उल्लंघन करते हैं। विशेष तौर पर इसमें शामिल है, काश्तकारी की अवधि सुरक्षा व जबरन बेदखली से आज़ादी के अधिकार; सार्वजनिक साधनों व सेवाओं के उपयोग व फायदों पर पहुंच; जानकारी सामर्थ्य व कौशल विकास; भागीदारी व स्व-अभिव्यक्ति; उल्लंघन व क्षति के उचित मुआवज़े व पुनर्वास का अधिकार तथा भौतिक सुरक्षा और गोपनीयता पर लोगों के अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये सभी उपयुक्त आवास के मानव अधिकार के लिए महत्वपूर्ण कारकों में शामिल किए गए हैं।

जबरन बेदखली लोगों को बेघर और निराश्रय बना देती है और उनके पास अपनी आजीविका कमाने के साधनों, तथा कानूनी व अन्य सुरक्षा हासिल करने के प्रभावकारी तरीकों तक पहुंच नहीं होती। जबरन बेदखली से प्रभावित लोगों को शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षति भी भुगतनी पड़ती है जिसका विशेष प्रभाव औरतों, बच्चों, मज़लूमों, अल्पसंख्यकों, मूलवासी तबकों व अन्य हाशिये के समूहों पर पड़ता है।

जबरन बेदखली का क्रियान्वयन केवल खास अपरिहार्य परिस्थितियों में और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून का सख्ती से पालन करते हुए ही किया जाना चाहिए।

विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश

उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने *जर्मन फेडरल फॉरेन आफ़िस* व जर्मन मानव अधिकार संस्थान के साथ मिलकर जबरन बेदखली पर जून 2005 में, बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला का मकसद था – राज्यों व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जबरन बेदखली को संबोधित करने वाली नीतियों व कानूनों के विकास के लिए दिशानिर्देशों की व्याख्या में सहयोग करना। *विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश* (आगे दिशानिर्देश), इसी कार्यशाला और इसके पश्चात होने वाले विचार-विमर्श का नतीजा हैं।[9] जून 2007 में उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने इन दिशानिर्देशों को मानव अधिकार परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसने औपचारिक तौर पर दिसम्बर 2007 में इन दिशानिर्देशों पर स्वीकृति दी।[10]

दिशानिर्देशों के विशिष्ट बिन्दु

1997 के बाद से दुनिया भर से एकत्रित किए गए अनुभवों के आधार पर इन मूल सिद्धान्तों व कार्यकारी दिशानिर्देशों में अनेक नए आदेश शामिल किए गए हैं।

मौजूदा दिशानिर्देश शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में, विकास योजनाओं के फलस्वरूप होने वाली बेदखली व उससे जुड़े विस्थापन के मानवाधिकार प्रभावों को संबोधित करते हैं। ये विकास आधारित विस्थापन (E/CN.4/Sub.2/1997/7, annex) पर समग्र मानव अधिकार दिशानिर्देशों के विस्तारित विकास का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दिशानिर्देश अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून पर आधारित हैं और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार कमेटी की सामान्य टिप्पणी 4 (1991) व सामान्य टिप्पणी 7 (1997); तथा आंतरिक विस्थापन के निदेशक सिद्धान्तों (E/CN.4/1998/53/Add.2) के अनुकूल हैं। इनके अलावा ये दिशानिर्देश अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के समग्र उल्लंघन व अंतर्राष्ट्रीय लोकोपकारी कानून के गंभीर हनन् से पीड़ित लोगों के लिए प्रतिकार व क्षतिपूर्ति अधिकार के मूल सिद्धान्तों व दिशानिर्देशों (जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेंबली के प्रस्ताव 60/147 में अपनाया गया) के अनुकूल हैं। तथा शरणार्थी व विस्थापित व्यक्तियों के आवास व सम्पत्ति वापसी के सिद्धान्तों के भी अनुकूल हैं (E/CN.4/1998/53/Add.1)।

दिशानिर्देशों में विशेष तौर पर निम्न शामिल हैं:

- जबरन बेदखली के व्यवहार की परिभाषा (अनुच्छेद 4-8);
- ''अपरिहार्य परिस्थितियों'' में ''पूर्ण न्यायसंगत'' व प्रक्रियात्मक गारंटी (अनुच्छेद 21) के साथ विस्थापन के लिए कठोर मापदण्ड;
- राज्यों द्वारा बेदखली से पहले, बेदखली के दौरान व बेदखली के बाद में मानव अधिकार सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विस्तारित उल्लेख (अनुच्छेद 37-58);
- विस्थापन से पहले लागू किए जाने वाले बेदखली के प्रभावों पर आधारित गहन मूल्यांकन (अनुच्छेद 32, 33);
- मुआवज़े, पुनर्स्थापन व उपयुक्त बहाली (जो मानव अधिकार मानकों के अनुकूल हों) के प्रावधान (अनुच्छेद 42, 60-63);

- विस्थापन के अन्य कारण जैसे आपदा से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में उपयोगी सुझाव (अनुच्छेद 52, 55);
- प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले विस्थापित समुदायों के उपयुक्त आवास के अधिकार के अनुकूल ''पुनर्वास के अधिकार'' की प्रक्रिया को स्थापित करना (अनुच्छेद 16, 52-56);
- वापस जाने का अधिकार (अनुच्छेद 64–67)
- भूमि व आश्रय के पट्टे से वंचित व्यक्तियों को अवधि की सुरक्षा प्रदान करने के राज्य के ''तत्काल दायित्व के पालन'' पर ज़रूरी निर्देश (अनुच्छेद 23, 25);
- सशक्त *जेंडर* (सामाजिक लिंग आधारित) नज़रिया, जिसमें महिलाओं के मालिकाना हक़ों की सुरक्षा भी शामिल हो (अनुच्छेद 7, 15, 26, 29, 33, 34, 38, 39, 47, 50, 53, 54, 57, 58);
- बच्चों के उपयुक्त आवास के अधिकार की सुरक्षा (अनुच्छेद 21, 31 33, 47, 50, 52, 54, 56);
- हाशिये के समुदायों व समूहों जिसमें विकलांग व्यक्ति, अल्पसंख्यक, भेदभाव ग्रस्त समूह व बुजुर्ग शामिल हों, के मानव अधिकारों की सुरक्षा और बेदखली के इन पर विविध प्रभावों का उल्लेख (अनुच्छेद 21, 29, 31, 33, 38, 39, 54, 57);
- अन्य संबंधित मानव अधिकारों की सुरक्षाः
  - श्रम व आजीविका का मानव अधिकार (अनुच्छेद 43, 52, 63);
  - भूमि का मानव अधिकार (अनुच्छेद 16, 22, 25, 26, 30, 43, 56, 60, 61, 63, 71);
  - भोजन का मानव अधिकार (अनुच्छेद 52, 57);
  - स्वास्थ्य का मानव अधिकार (अनुच्छेद 16, 54-57, 63, 68);
  - शिक्षा का मानव अधिकार (अनुच्छेद 16, 52, 57, 60, 63);
- गैर-सरकारी पक्षों के दायित्वों का उल्लेख (अनुच्छेद 11, 71-73);
- राज्यों के लिए निर्देश कि बाज़ारवाद के कारण, अल्प-आय व हाशिये के समूहों की अरक्षितता न बढ़े, न ही उन्हें जबरन बेदखल किया जाए (अनुच्छेद 8, 30)।

दिशानिर्देशों के संभावित उपयोग

इन दिशानिर्देशों का मकसद है कि कम से कम विस्थापन हो और जहां तक संभव हो सके सतत् विकल्पों की तलाश की जाए। जिन परिस्थितियों में विस्थापन से बचना असंभव है उनके लिए दिशानिर्देशों में कुछ विशेष मानव अधिकार आधारित मानक है, जिनका सम्मान और पालन हर हाल में किया जाना ज़रूरी है।

इन दिशानिर्देशों का अनेक स्तरों पर उपयोग किया जा सकता है:

- विस्थापन, बहाली व पुनर्वास के लिए ज़िम्मेदार सभी पक्षों से संबंधित प्रक्रियाओं और नीतियों में बेहतरी के लिए – जैसे, स्थानीय अफसर, नगरपालिका कर्मचारी, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि, कानून लागू करने वाले संगठन खासतौर पर पुलिस अधिकारी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी संचालन प्रणाली में मानव अधिकार मानक शामिल हैं और वे किसी भी स्तर पर मानव अधिकारों का हनन् नहीं कर रहे हैं।
- विस्थापित व्यक्तियों, विस्थापन के संकट से घिरे समूहों तथा उनके हित में कार्यरत नागरिक समाज समूहों के बीच चेतना जागृति के लिए। जब प्रभावित व्यक्ति अपने मानव अधिकार व प्रशासनीय संस्थाओं की ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ होते हैं तब वे अपने मानव अधिकारों की मांग व क्रियान्वयन को लेकर सजग रहते हैं।
- सभी संबंधित पक्षों (सरकार, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र आदि) के व्यवहार या प्रक्रियाओं और अभिशासन की निगरानी के लिए, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया गया है।
- नीति सुधार व कानूनों पर प्रभाव डालने के लिए। इन दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय कानूनों, विकास, विस्थापन व बहाली से जुड़ी नीतियों व प्रशासनिक निर्णयों में सम्मिलित किया जा सकता है जिससे प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों को बरकरार रखने वाली न्यायोचित प्रक्रियाएं चलाई जाएं।
- नीति निर्धारकों को सलाह-मशविरा प्रदान करने के लिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी व ग्रामीण योजनाएं संतुलित व मानव

अधिकार मानदण्डों पर आधारित हैं, तथा समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों का खास ध्यान रखा जा रहा है।

- विस्थापन में कमी लाने और उपयुक्त व न्यायसंगत बहाली व पुनर्वास को लागू करने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या और क्रियान्वयन में कानून लागू करने वाली संस्थाओं का सहयोग करने के लिए।
- सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही में बढ़ोतरी के लिए।
- जबरन बेदखली के विरोध में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अभियानों तथा उपयुक्त आवास व भूमि के मानव अधिकार की पहचान, क्रियान्वयन और सुरक्षा की वकालत करने के लिए।

दिशानिर्देशों पर पुस्तिका

इस पुस्तिका का उद्देश्य है पाठकों का इन दिशानिर्देशों से परिचय कराना जिससे वे इनका उपयोग, जबरन बेदखली को रोकने के लिए कारगर हथियार के रूप में कर सकें। इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत, किसी भी परिस्थिति में बेदखली होने पर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि इस कार्य को पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ अंजाम दिया गया है और इसके एवज में मानव अधिकार मानदण्डों के तहत उचित बहाली व पुनर्वास के कदम उठाए गए हैं।

इस पुस्तिका में दिशानिर्देशों के मूल केन्द्र बिन्दुओं का संक्षिप्त सारांश और दिशानिर्देशों की विषय-वस्तु की जानकारी दी गई है।

दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के अलावा इस पुस्तिका का मकसद यह भी है कि विभिन्न पक्षों को ये दिशानिर्देश अपनाने व उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रक्रिया का अहम लक्ष्य स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मानव अधिकार मानक निर्धारित करने में योगदान देना है।

यह आशा की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र के इन दिशानिर्देशों का व्यापक वितरण किया जाएगा तथा इनका अनुवाद कई स्थानीय भाषाओं में होगा। संबंधित अफसरों द्वारा इनका उपयोग होगा और नीति व कानून में इनका समावेश किया जाएगा। ऐसा होने पर कई मानव अधिकारों की, खासकर उपयुक्त आवास, श्रम, भूमि, व्यक्ति तथा निवास की सुरक्षा के मानव अधिकारों की रक्षा, सम्मान व पूर्ति संभव हो सकेगी।

विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश

सारांश

सारांश

विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश

इस सारांश में दिशानिर्देशों के हर भाग में दिए गए मुख्य बिन्दुओं व सिद्धान्तों को उजागर किया गया है जिससे पाठकों का एक सामान्य नज़रिया बन सके। इसके बाद दिशानिर्देशों का पूरा विवरण दिया गया है।

I. कार्यक्षेत्र व स्वरूप (अनुच्छेद 1 – 10)

लोगों के अपनी भूमि व आवास से जबरन बेदखल न करने और उससे सुरक्षित रखने का राजकीय उत्तरदायित्व अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में दर्ज है, जिनके ज़रिए उपयुक्त आवास तथा उससे जुड़े अन्य मानव अधिकारों की सुरक्षा होती है। इसके साथ तथा मानव अधिकार विचारधारा की अखण्डता के अनुकूल, *''किसी व्यक्ति की गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार में मनमाना या गैर-कानूनी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता''* और *''हर व्यक्ति को इस प्रकार के हस्तक्षेप व आक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने का कानूनी अधिकार है।''*

मौजूदा दिशानिर्देश शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विकास आधारित बेदखली व विस्थापन के मानव अधिकार प्रभावों को संबोधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के संदर्भ में ''जबरन बेदखली'' की सभी उपयुक्त परिभाषाओं को मद्देनज़र रखते हुए यह दिशानिर्देश उन प्रक्रियाओं व त्रुटियों पर लागू किए जा सकते हैं जिनमें व्यक्तियों, समूहों व समुदायों का ज़बर्दस्ती अथवा अनचाहा विस्थापन किया गया है। यह ऐसी स्थिति में जहां लोगों को उन आवासों, ज़मीनों, या साझे संसाधनों से विस्थापित किया गया हो, जिन पर वे आश्रित थे। और जब इस बेदखली ने इन व्यक्तियों, समूहों व समुदायों को उस विशेष जगह पर बसने / घर बनाने या आजीविका कमाने से महरूम कर दिया हो, तथा उनका विस्थापन बिना कोई कानूनी व अन्य सुरक्षा या प्रावधान मुहैया करवाए बगैर किया गया हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जबरन बेदखली एक विशेष मसला है जिसे कानूनी रूप से काश्तकारी की अवधि सुरक्षा के अभाव के साथ जोड़ा जाता है और जो उपयुक्त आवास के अधिकार का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है।

जबरन बेदखली विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिसमें उपयुक्त आवास, भोजन, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, काम, व्यक्ति की सुरक्षा, घर की सुरक्षा, क्रूर, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा तथा आवाजाही की स्वतंत्रता शामिल हैं। बेदखली, कानूनी प्रक्रिया के तहत, केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही की जानी चाहिए तथा इसके दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों व लोकोपकारी कानूनों का पालन किया जाना चाहिए।

II. सामान्य दायित्व (अनुच्छेद 11 – 36)

क. दायित्वों का स्वरूप व निर्वाह (अनुच्छेद 11 - 12)

जबरन बेदखली विभिन्न कई अलग-अलग पक्षों द्वारा की जा सकती है या उनकी मांग, सुझाव, आगाज़, समर्थन व नज़रअंदाज़ी का नतीजा हो सकती है। पर जैसा इन दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है हर राज्य का दायित्व होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक कानून के सामान्य नियमों व संधियों में स्थापित अधिकारों का सम्मान करते हुए, मानवाधिकारों व लोकोपकारी मानदण्डों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य पक्ष, यानी परियोजना प्रशासक व कार्यकर्त्ता, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व अन्य संस्थान, व्यक्तिगत पक्ष जैसे निजी जमींदार व मालिक, इससे जुड़ी सभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं।

ख. मूल मानव अधिकार सिद्धान्त (अनुच्छेद 13 - 20)

अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों का दायित्व है कि वे नस्ल, रंग, भाषा, धर्म या विश्वास, राजनैतिक व अन्य विचार, राष्ट्रीय, मूलवासी व सामाजिक मूल, कानूनी व सामाजिक दर्जे, उम्र, विकलांगता, सम्पत्ति, जन्म व अन्य दर्जे के आधार पर बगैर भेदभाव किए उपयुक्त आवास व काश्तकारी की अवधि सुरक्षा के मानव अधिकार, तथा जबरन बेदखली से लोगों का बचाव सुनिश्चित करे। राज्य की यह भी ज़िम्मेदारी है कि वे महिला व पुरुष दोनों को जबरन बेदखली से बचाए, और उनके लिए उपयुक्त आवास व काश्तकारी की अवधि सुरक्षा के मानव अधिकार को सुनिश्चित करें, जैसा कि मौजूदा दिशानिर्देशों में दर्ज किया गया है।

ग. राज्य दायित्वों का कार्यान्वयन (अनुच्छेद 21 - 22)

राज्य सुनिश्चित करेंगे कि बेदखली केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही की जाए। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अधिकारों पर बेदखली के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए यह ज़रूरी है कि बेदखली के लिए उचित व पूरे जायज़ कारण प्रस्तुत किए जाएं। किसी भी बेदखली के लिए निम्न आवश्यक हैः (क) कानूनी सहमति; (ख) अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अनुकूल कार्यान्वयन; (ग) सामान्य कल्याण का उद्देश्य; (घ) संतुलित व तर्कसंगत बेदखली; (च) पूरा व न्यायसंगत मुआवज़ा तथा बहाली; (छ) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुकूल कार्यान्वयन। इन कार्यविधि आवश्यकताओं द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा सभी प्रभावित समूहों व व्यक्तियों पर लागू होती है चाहे स्थानीय कानून के तहत उनको आवास व सम्पत्ति हक मुहैया हो अथवा नहीं।

घ. निरोधक रणनीतियां, योजनाएं व कार्यक्रम (अनुच्छेद 28 - 36)

व्यक्तियों, समूहों व समुदायों की जबरन बेदखली व उसके प्रभावों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उचित रणनीतियां, योजनाएं व कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिए। राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदण्डों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए उचित रणनीतियों, योजनाओं व नीतियों की व्यापक समीक्षा भी की जानी चाहिए। ज़मीन की सट्टेबाज़ी व खरीद-फरोख्त जैसे जबरन बेदखली के कारणों की रोकथाम व खात्मे के लिए राज्यों द्वारा विशेष निरोधक कदम भी उठाए जाने चाहिए।

राज्यों को चाहिए कि वे विस्थापन कम करने वाली रणनीतियों को प्राथमिकता दें। किसी भी परियोजना, जिसमें विकास आधारित बेदखली व विस्थापन होने की संभावना हो, की शुरूआत से पहले एक व्यापक व समग्र प्रभाव आधारित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस मूल्यांकन द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों, समूहों व समुदायों के मानव अधिकारों की रक्षा तथा जबरन बेदखली से बचाव के उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। ''बेदखली से जुड़े प्रभाव आधारित मूल्यांकन'' के दौरान यह कोशिश होनी चाहिए कि बेदखली की वजह से होने वाली क्षति को कम करने के लिए विकल्प व नई रणनीतियां बनाई जाए। इस मूल्यांकन में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व हाशिये के समूहों पर पड़ने वाले विविध प्रभावों का भी जायज़ा लिया जाना चाहिए।

III. बेदखली से पहले (अनुच्छेद 37 – 44)

शहरी या ग्रामीण नियोजन व विकास प्रक्रियाओं में प्रभावित लोगों की भागीदारी तथा निम्न कारकों की मौजूदगी आवश्यक है:

(क) उन सभी व्यक्तियों को जो प्रभावित हो सकते हैं, यह कानूनी सूचना दी जानी चाहिए कि बेदखली हो सकती है तथा प्रस्तावित योजनाओं व विकल्पों पर जनसुनवाई की जाएगी;

(ख) संबंधित अधिकारियों द्वारा अग्रिम सूचना का वितरण किया जाना चाहिए, जिसमें ज़मीन के पट्टे संबंधी, पुनर्वास योजनाओं व हाशिये के समूहों की सुरक्षा को संबोधित करने वाली योजनाओं की भी जानकारी शामिल हो;

(ग) प्रस्तावित योजना पर सार्वजनिक समीक्षा, टिप्पणी व आपत्ति के लिए उचित समय अवधि प्रदान की जानी चाहिए;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को उनके अधिकारों व विकल्पों से जुड़ी कानूनी, तकनीकी व अन्य सलाह का प्रावधान व अवसर मुहैया कराए जाने चाहिए;

(च) प्रभावित व्यक्तियों व उनके वकीलों को बेदखली के निर्णय को चुनौती देने के लिए या वैकल्पिक सुझावों की पेशकश व अपनी विकास आधारित मांगे व ज़रूरतों को मुखरित करने के लिए, जनसुनवाई का आयोजन करने का मौका मिलना चाहिए।

राज्यों को चाहिए कि वे बेदखली के सभी संभावित विकल्पों का जायज़ा लें। सभी प्रभावित व्यक्तियों व समूहों को, जिनमें महिलाएं, मूलवासी तबके, विकलांग व्यक्ति व प्रभावितों के लिए काम कर रहे लोग शामिल हैं, उचित जानकारी पाने, परामर्श व प्रक्रिया में भागीदारी और अधिकारियों को वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत करने के अधिकार हैं।

बेदखली संबंधी सभी निर्णयों की जानकारी स्थानीय भाषाओं में व सभी संबंधित व्यक्तियों तक अग्रिम रूप से पहुंचाई जानी चाहिए।

बेदखली के मायने व्यक्तियों के मानव अधिकारों का हनन् व उनको बेघर करना नहीं है। सभी पुनर्वास प्रयास जैसे घर निर्माण, बिजली-पानी व स्वच्छता की

सुविधाएं, विद्यालय, सड़कें, ज़मीन व क्षेत्र आबंटन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धान्तों व मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुकूल तथा बेदखली से पहले पूरे हो जाने चाहिए।

IV. बेदखली के दौरान (अनुच्छेद 45 – 51)

बेदखली की कार्यविधि के दौरान मानव अधिकार मानकों के सम्मान की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सरकारी अफ़सरों या उनके प्रतिनिधियों का बेदखली स्थल पर मौजूद होना अनिवार्य है।

बेदखली इस प्रकार से नहीं की जानी चाहिए कि प्रभावित लोगों के सम्मान तथा उनके जीवन व सुरक्षा के मानव अधिकार का हनन् हो। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बेदखली के दौरान महिलाओं के साथ हिंसा या भेदभाव न हो तथा बच्चों के मानव अधिकार सुरक्षित रहें।

बेदखली, प्रतिकूल मौसम, रात के समय, त्यौहारों या धार्मिक अवकाशों, चुनाव से पहले, या परीक्षा से पहले या दौरान नहीं की जानी चाहिए। राज्यों व उनके पक्षों को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि प्रभावित लोगों पर परोक्ष या प्रत्यक्ष हमले या हिंसा की वारदातें न हों।

V. बेदखली के बाद तात्कालिक राहत व स्थानांतरण (अनुच्छेद 52 – 58)

मुआवज़ा व वैकल्पिक आवास मुहैया कराने के लिए ज़िम्मेदार सरकार व अन्य पक्षों को बेदखली के फौरन बाद अपना काम मुस्तैदी से शुरू कर देना चाहिए। इस प्रक्रिया का केवल एक ही अपवाद है – *फोर्स मेजर (force majeure)*

कम से कम, बिना किसी भेदभाव या परिस्थिति से प्रभावित होकर, सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बेदखल व्यक्ति या समूह, विशेषकर वे जो अपनी देखभाल स्वयं करने में असमर्थ हैं, के पास निम्न सुविधाएं सुरक्षित हों: (क) आवश्यक भोजन, पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय सुविधा; (ख) मूल आश्रय व आवास; (ग) पर्याप्त कपड़े; (घ) आवश्यक चिकित्सीय सेवाएं; (च) आजीविका स्रोत; (छ) मवेशियों के लिए चारा व पूर्व आश्रित साझे संसाधनों पर हक़; (ज) बच्चों की शिक्षा व देखभाल सुविधा। राज्यों को यह भी ध्यान रखना होगा कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य बेदखली के दौरान अलग-थलग न हो जाएं।

स्थानांतरण के दौरान निम्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिएः (क) महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों की पूर्ति हो – जिसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, तथा यौन हिंसा व उत्पीड़न से ग्रस्त महिलाओं के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध की जाएं; (ख) सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दीर्घकालीन इलाज व चिकित्सा में बाधा न आए; (ग) स्थानांतरित स्थल पर संक्रमक व छूत के रोग जिसमें *एचआईवी/एड्स* शामिल हो, से बचाव के साधन उपलब्ध हों।

स्थानांतरण स्थल, मानव अधिकार कानूनों पर खरे उतरने चाहिए तथा उनमें उपयुक्त आवास के निम्न मापदण्डों की मौजूदगी अनिवार्य हैः (क) काश्तकारी की अवधि सुरक्षा; (ख) आवश्यक सेवाएं, सामग्री, सुविधाएं व ढांचागत आपूर्ति, जैसे पीने का साफ पानी, पकाने, सेंकने व रोशनी के लिए ईंधन/ऊर्जा, नहाने-धोने की सुविधा, भोजन एकत्रण की सुविधा, कूड़ा फेंकने व साफ-सफाई की सुविधा, आपातकालीन सेवा, प्राकृतिक व साझे संसाधनों तक पहुंच; (ग) सस्ते आवास; (घ) रिहाइश योग्य मकान जो रहने वाले की शारीरिक सुरक्षा के साथ, सर्दी, गर्मी, सीलन, बारिश व आंधी से हिफाज़त, और स्वास्थ्य व ढांचागत खतरों व बीमारियों से रक्षा करें; (च) अक्षम समूहों के लिए सुविधाजनक; (छ) शहरी या ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के विकल्पों, स्वास्थ्य सेवाओं, विद्यालयों, बालवाड़ी केन्द्रों व अन्य सामाजिक स्थलों से नज़दीकी; (ज) सांस्कृतिक रूप से उचित आवास।

आवास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आवास में इन आवश्यक मानकों की मौजूदगी भी होनी चाहिए – सुरक्षा व गोपनीयता, निर्णय में भागीदारी, हिंसा से मुक्ति व किसी भी संकट व हनन् से निपटने के साधन।

VI. जबरन बेदखली (अनुच्छेद 59 – 68) के प्रतिकार

जबरन बेदखली से जूझ रहे या इससे पीड़ित व्यक्तियों को समयोचित प्रतिकार का अधिकार है। उचित प्रतिकारों में न्यायपूर्ण सुनवाई, कानूनी सहायता, वकील व परामर्श, वापसी, पुनर्स्थापन, पुनर्वास, बहाली व मुआवज़ा शामिल है। इन सभी प्रतिकारों का क्रियान्वयन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के घोर उल्लंघन से पीड़ित लोगों के प्रतिकार व क्षतिपूर्ति अधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकोपकारी कानून के गंभीर उल्लंघन से जुड़े मूल सिद्धान्तों व दिशानिर्देशों के अनुकूल किया जाना चाहिए।

(क) मुआवज़ा (अनुच्छेद 60 - 63)

मुआवज़ा हर उल्लंघन की गंभीरता व परिस्थिति तथा आर्थिक क्षति के अनुपात का जायज़ा लेकर निर्धारित किया जाना चाहिए। किसी भी ज़मीन व साझी सम्पत्ति या संसाधनों के एवज़ में नकद मुआवज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। जहां भूमि का अधिग्रहण किया गया हो वहां बेदखल व्यक्ति या समूह को उसी गुण, माप, मूल्य की या उससे बेहतर स्तर की ज़मीन का आबंटन किया जाना चाहिए। सभी मुआवज़ों का लाभ महिला-पुरुष दोनों को समान रूप से पहुंचना चाहिए।

(ख) पुनर्स्थापन व वापसी (अनुच्छेद 64 - 67)

जहां वापसी संभव हो तथा जहां इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त पुनर्वास नहीं किया गया हो, वहां प्रशासन को ऐसे साधन व परिस्थितियां निर्धारित करने चाहिए जिनमें लोगों व समूहों का सुरक्षा व सम्मान के साथ अपने आवास व रिहाइशी इलाकों में पुनर्स्थापन हो सके। इन सहूलियतों में आर्थिक साधन भी शामिल होने चाहिए।

परन्तु जहां वापसी अथवा पुनर्स्थापन या सम्पत्ति की बहाली होने की संभावना न हो, वहां प्रशासन द्वारा बेदखली के पीड़ितों को उचित मुआवज़ा व बहाली के अन्य साधन दिलवाने में सहयोग करना चाहिए।

(ग) पुनर्वास व बहाली (अनुच्छेद 68)

हालांकि सभी पक्षों द्वारा वापसी के अधिकार को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए, परन्तु कुछ हालात ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें (जैसे सामान्य कल्याण के लिए या फिर जहां सुरक्षा, स्वास्थ्य व मानव अधिकार की मांग यही हो) विकास आधारित बेदखली से गुज़रे लोगों, समूहों व समुदायों का पुनर्वास आवश्यक हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में पुनर्वास न्यायपूर्ण व समतावादी प्रक्रिया तथा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अनुकूल किया जाना चाहिए।

VII. निगरानी, मूल्यांकन व अनुवर्तन (अनुच्छेद 69 – 70)

राज्यों को अपने क्षेत्र व प्रशासनिक इलाकों में होने वाली जबरन बेदखली की संख्या, स्वरूप व दीर्घकालीन प्रभावों को आंकने के लिए गुणात्मक व मात्रात्मक

मूल्यांकन तथा सक्रिय निगरानी करनी चाहिए। इस मूल्यांकन से निकली रिपोर्ट व परिणामों की जानकारी संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पक्षों व आम जनता को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होनी चाहिए। इससे, इनमें दर्ज सुझावों के आधार पर श्रेष्ठ प्रक्रियाओं व समस्याओं के समाधान से जुड़े अनुभवों या विकल्पों का विकास किया जा सकता है।

VIII. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं व विश्व समुदाय की भूमिका (अनुच्छेद 71 – 74)

यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है कि वह आवास, सम्पत्ति व भूमि के मानव अधिकार की रक्षा करे व उन्हें बढ़ावा दे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यापार, विकास व अन्य संस्थान जिनमें दानदाता राज्य व उनके सदस्य भी शामिल हों और जिनके पास इन संस्थानों में मतदान अधिकार मुहैया हो, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून व संबंधी मानकों के अंतर्गत जबरन बेदखली पर प्रतिबंध लगाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुराष्ट्रीय निगमों व अन्य व्यापार संघों को भी अपने कार्य क्षेत्र व प्रभावी इलाकों में जबरन बेदखली पर प्रतिबंध लागू करके, उपयुक्त आवास के मानव अधिकार का सम्मान करना चाहिए।

विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश

पूर्ण विवरण

विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन पर मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश[*]

विषय - सूची

अनुच्छेद

I. **कार्य क्षेत्र व स्वरूप** 1 - 10

II. **सामान्य दायित्व** 11 - 36

- क. दायित्वों का स्वरूप व निर्वाह 11 - 12
- ख. मूल मानव अधिकार सिद्धान्त 13 - 20
- ग. राज्य दायित्वों का क्रियान्वयन 21 - 27
- घ. निरोधक रणनीतियां, योजनाएं व कार्यक्रम 28 - 36

III. **बेदखली से पहले** 37 - 44

IV. **बेदखली के दौरान** 45 - 51

V. **बेदखली के बादः तात्कालिक राहत व स्थानांतरण** 52 - 58

VI. **जबरन बेदखली से प्रतिकार** 59 - 68

- क. मुआवज़ा 60 - 63
- ख. पुनर्स्थापन व वापसी 64 - 67
- ग. पुनर्वास व बहाली 68

VII. **निगरानी, मूल्यांकन व अनुवर्तन** 69 - 70

VIII. **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं व विश्व समुदाय की भूमिका** 71 - 73

IX. **व्याख्या** 74

---

[*] यह दिशानिर्देशों का पूरा व वास्तविक विवरण है। इनकी प्रस्तुति उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि मिलून कोठारी की रिपोर्ट में की गई है, A/HRC/4/18, February 2007. ऑनलाइन उपलब्धः http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/annual.htm

I. कार्यक्षेत्र व स्वरूप

1. भूमि व आवास से जबरन बेदखली व इससे सुरक्षा प्रदान करने का राज्यों का उत्तरदायित्व अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में दर्ज है जिनसे उपयुक्त आवास तथा इससे जुड़े अन्य मानव अधिकारों की सुरक्षा होती है। इनमें सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र; आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय उपसंव्दा (धारा 11, अनुच्छेद 1); बाल अधिकार प्रतिज्ञा-पत्र (धारा 27, अनुच्छेद 3); महिलाओं के प्रति भेदभाव के समस्त रूपों के बहिष्करण के प्रतिज्ञा-पत्र *(सीडो)* की धारा 14, अनुच्छेद 2 (h), में दर्ज भेदभाव विरोधी प्रावधान तथा नस्ल आधारित भेदभाव विरोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद 5 (e) में दर्ज प्रावधान शामिल हैं।

2. इसके साथ तथा मानव अधिकार विचारधारा की अखण्डता के अनुकूल नागरिक व राजनैतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय उपसंव्दा की धारा 17 में उल्लेख किया गया है कि, *''किसी व्यक्ति की गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार में मनमाना या गैर-कानूनी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता'', और ''हर व्यक्ति को इस प्रकार के हस्तक्षेप व आक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने का कानूनी अधिकार है।''* इसी तरह का प्रावधान बाल अधिकार प्रतिज्ञा-पत्र की धारा 16, अनुच्छेद 1 में भी दर्ज है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून जिनमें यह संदर्भ पाया जाता है, उनमें शामिल हैं – शरणार्थियों के दर्जों से संबंधित प्रतिज्ञा-पत्र (1951) की धारा 21; अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिज्ञा-पत्र, संख्या 169 (स्वतंत्र राष्ट्रों के मूलवासी व आदिवासी तबकों से संबंधित हैं) की धारा 16 (1989); जिनिवा प्रतिज्ञा-पत्र की धारा 49, जो 12 अगस्त 1949 के युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा से संबंध रखती है (चौथा जिनिवा प्रतिज्ञा-पत्र)।

3. मौजूदा दिशानिर्देश शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विकास आधारित बेदखली व विस्थापन के मानवाधिकार प्रभावों को संबोधित करते हैं। यह विकास आधारित विस्थापन (E/CN.4/Sub.2/1997/7, annex) पर समग्र मानवाधिकार दिशानिर्देशों के विस्तारित विकास का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दिशानिर्देश अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून पर आधारित हैं और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार कमेटी की सामान्य टिप्पणी 4 (1991) व सामान्य टिप्पणी 7 (1997); तथा आंतरिक विस्थापन के निदेशक सिद्धान्तों (E/CN.4/1998/53/Add.2) के अनुकूल

हैं। इनके अलावा ये दिशानिर्देश अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के समग्र उल्लंघन व अंतर्राष्ट्रीय लोकोपकारी कानून के गंभीर हनन् से पीड़ित लोगों के लिए प्रतिकार व क्षतिपूर्ति अधिकारों के मूल सिद्धान्तों व दिशानिर्देशों (जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेंबली के प्रस्ताव 60/147 में अपनाया गया) के अनुकूल हैं। तथा शरणार्थी व विस्थापित व्यक्तियों के आवास व सम्पत्ति वापसी के सिद्धान्तों के भी अनुकूल हैं (E/CN.4/1998/53/Add.1)।

4. अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के संदर्भ में जबरन बेदखली की सभी उपयुक्त परिभाषाओं को मद्देनज़र रखते हुए यह दिशानिर्देश उन प्रक्रियाओं व त्रुटियों पर लागू किए जा सकते हैं जिनमें व्यक्तियों, समूहों व समुदायों का ज़बर्दस्ती अथवा अनचाहा विस्थापन किया गया हो। ऐसी स्थिति में जहां लोगों को उन आवासों, ज़मीनों, या साझे संसाधनों से विस्थापित किया गया हो जिन पर वे आश्रित थे। और जब इस बेदखली ने इन व्यक्तियों, समूहों व समुदायों को उस विशेष जगह पर बसने / घर बनाने या आजीविका कमाने से महरूम कर दिया हो तथा यह विस्थापन उन्हें कोई कानूनी व अन्य सुरक्षा या प्रावधान मुहैया करवाए बगैर किया गया हो।[क]

5. अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जबरन बेदखली एक विशेष मसला है, जिसे कानूनी रूप से काश्तकारी की अवधि सुरक्षा के अभाव के साथ जोड़ा जाता है और जो उपयुक्त आवास के अधिकार का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। जबरन बेदखली के साथ लगभग उसी तरह के दुष्प्रभाव जुड़े हैं जैसे मनमाने विस्थापन[ख] के फलस्वरूप होते हैं। इनमें बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानांतरण, निष्कासन, निष्क्रमण, जातीय शुद्धिकरण तथा घरों, ज़मीनों व समुदायों से लोगों का अनचाहा व जबरन विस्थापन करने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं।

6. जबरन बेदखली से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है जिसमें उपयुक्त आवास, भोजन, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, काम, व्यक्ति की सुरक्षा, घर की सुरक्षा, क्रूर, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा तथा आवाजाही की स्वतंत्रता शामिल हैं। बेदखली,

---

[क] जबरन बेदखली पर प्रतिबंध, कानून के अंतर्गत व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों के प्रावधान के अनुकूल की गई बेदखलियों पर लागू नहीं होता।

[ख] आंतरिक विस्थापन के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के निर्देश 6 के अनुकूल।

कानूनी प्रक्रिया के तहत केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही की जानी चाहिए तथा इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों व लोकोपकारी कानूनों का पालन किया जाना चाहिए।

7. जबरन बेदखली असमानता, सामाजिक संघर्ष, अलगाव, ''जमघटवादी'' प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। इसका पुरज़ोर प्रभाव सामाजिक व आर्थिक रूप से कमज़ोर, अत्याधिक गरीब व हाशिये के वर्गों पर पड़ता है, विशेषतः महिलाएं, बच्चे, मूलवासी व अल्पसंख्यक समूह।

8. मौजूदा दिशानिर्देशों के संदर्भ में देखें तो विकास आधारित बेदखली अक्सर 'सार्वजनिक हित' के नाम पर योजनाबद्ध तरीकों से की जाती रही है। इनमें वे तमाम बेदखलियां शामिल हैं जो विकास व ढांचागत परियोजनाओं (जैसे बड़े बांध, औद्योगीकरण व ऊर्जा परियोजनाएं, खनन् व अन्य उद्योग) से जुड़ी है या फिर भूमि अधिग्रहण, शहरी नवीनीकरण, बस्ती सुधार, आवास संरक्षण, शहरी ''सुन्दरीकरण'' व अन्य भूमि उपयोग से जुड़े कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। इसके अलावा सम्पत्ति, भूमि विवाद व हस्तांतरण, ज़मीन की सट्टेबाज़ी व अवैध खरीद-फरोख्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व खेलकूद के बड़े कार्यक्रमों या पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के नाम पर भी बेदखली की जाती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम भी शामिल किए जाते हैं।

9. पर्यावरण विनाश या क्षय, सार्वजनिक तनाव, प्राकृतिक व सामुदायिक दुर्घटनाएं, अशांति या अराजकता, आंतरिक, अंतर्राष्ट्रीय व मिश्रित संघर्ष, आपातकालीन परिस्थितियां, घरेलू हिंसा व विभिन्न पारंपरिक व सांस्कृतिक व्यवहारों के कारण होने वाली बेदखली या विस्थापन अक्सर उपयुक्त आवास के हक़, मानव अधिकारों व लोकोपकारी मानकों को नज़रअंदाज़ करते हुए होता है, और इसमें उपयुक्त आवास के हक़ की नज़रअंदाजी भी शामिल है। इन परिस्थितियों में कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है जिनको इन दिशानिर्देशों में संबोधित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में आंतरिक विस्थापन के निर्देशक सिद्धान्त, शरणार्थियों व विस्थापितों के आवास व सम्पत्ति की बहाली संबंधी सिद्धान्त व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के घोर उल्लंघन से पीड़ितों के प्रतिकार व क्षतिपूर्ति के अधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकोपकारी कानून के गंभीर उल्लंघन से जुड़े मूल सिद्धान्तों व दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

10. जबरन बेदखली के विभिन्न संदर्भों को स्वीकारते हुए, मौजूदा दिशानिर्देशों का लक्ष्य है राज्यों को कुछ ऐसी कार्यविधियों और पहलुओं की जानकारी प्रदान करना जिससे विकास आधारित बेदखलियों में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के उल्लंघन की संभावना कम हो और ये बेदखली ''जबरन बेदखली'' न बनने पाए। इन दिशानिर्देशों का मकसद है राज्यों व उनके पक्षों को ऐसी नीतियां, कानून, कार्यविधि व सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित करने में सहयोग करना जिससे जबरन बेदखली न हो। साथ ही ज़रूरी परिस्थितियों में जिन लोगों के मानव अधिकारों का हनन् हुआ है उन्हें प्रतिकार के कारगार उपाय मुहैया करवाए जायें।

II. सामान्य दायित्व

(क) दायित्वों का स्वरूप व निर्वाह

11. जबरन बेदखली विभिन्न कई अलग-अलग पक्षों द्वारा की जा सकती है या उनकी मांग, सुझाव, आगाज़, समर्थन व नज़रअंदाज़ी का नतीजा हो सकती है। पर जैसा इन दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है हर राज्य का दायित्व होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक कानून के सामान्य नियमों व संधियों में स्थापित अधिकारों का सम्मान करते हुए, मानवाधिकारों व लोकोपकारी मानदण्डों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य पक्ष, यानी परियोजना प्रशासक व कार्यकर्त्ता, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व अन्य संस्थान, व्यक्तिगत पक्ष जैसे निजी जमींदार व मालिक, इससे जुड़ी सभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं।

12. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्यों का दायित्व है कि वे सभी मानव अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान, सुरक्षा व पूर्ति करें। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य घरेलू व अपने देश की सीमा के बाहर मानव अधिकार उल्लंघन नहीं होने देंगे; यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य प्रशासन व नियंत्रण के अंतर्गत कोई भी पक्ष मानव अधिकार हनन् न करें; मानव अधिकार की रक्षा के लिए सुरक्षात्मक व प्रतिकारी कदम उठाएंगे तथा जिनके हक़ों का हनन् हुआ हो उनका पूरा सहयोग करेंगे। ये सभी उत्तरदायित्व समानान्तर व नियमित रूप से पूरे किए जाने चाहिए तथा इनमें कम या अधिक महत्वपूर्ण होने के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा।

(ख) मूल मानव अधिकार सिद्धान्त

13. अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अनुसार सभी को उपयुक्त जीवनशैली के तहत उपयुक्त आवास का हक़ है। उपयुक्त आवास के अधिकार में गोपनीयता, परिवार, घर व काश्तकारी की अवधि सुरक्षा के साथ गैर-कानूनी व मनमाने हस्तक्षेप से सुरक्षा शामिल है।

14. अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों का दायित्व है कि वे नस्ल, रंग, भाषा, धर्म या विश्वास, राजनैतिक व अन्य विचार, राष्ट्रीय, जातीय व सामाजिक मूल, कानूनी व सामाजिक दर्जे, उम्र, विकलांगता, सम्पत्ति, जन्म व अन्य दर्जे के आधार पर बगैर भेदभाव किए उपयुक्त आवास व काश्तकारी की अवधि सुरक्षा के मानव अधिकार तथा जबरन बेदखली से बचाव सुनिश्चित करें।

15. राज्यों का यह भी दायित्व है कि वे महिला व पुरुष दोनों के जबरन बेदखली से बचाव और उपयुक्त आवास व काश्तकारी की अवधि सुरक्षा के मानव अधिकार सुनिश्चित करें, जैसा कि मौजूदा दिशानिर्देशों में दर्ज है।

16. सभी व्यक्तियों, समूहों व समुदायों को पुनर्वास का अधिकार है जिसमें उच्चस्तरीय या समान दर्जे की वैकल्पिक भूमि का आबंटन तथा आवास अधिकार भी शामिल है। यहां उपयुक्त के मायने हैं: पहुंच, आर्थिक मूल्य, वास योग्यता, काश्तकारी की अवधि सुरक्षा, सांस्कृतिक अनुकूलता, स्थान की अनुकूलता व स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी ज़रूरी सेवाओं की उपलब्धि।[ग]

17. राज्यों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जबरन बेदखली का शिकार या इस खतरे से जूझ रहे व्यक्तियों को उपयुक्त व प्रभावशाली कानूनी व अन्य प्रतिकार सेवाएं उपलब्ध हों।

18. राज्यों को जानते-बूझते हुए किसी भी ऐसे प्रतिगामी नियम को लागू नहीं करना चाहिए जिससे जबरन बेदखली से सुरक्षा के अधिकार (विधित या तथ्यत:) का हनन् हो।

19. राज्यों को यह स्वीकारना होगा कि निरंकुश विस्थापन भी जबरन बेदखली ही होता है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित आबादी की मूलवासी या जातीय धार्मिक व नस्ली रचना में बदलाव होता है।

[ग] आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कमेटी द्वारा 1991 में अपनाई गई उपयुक्त आवास के अधिकार पर सामान्य टिप्पणी संख्या 4 देखें।

20. राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों व कार्यक्रमों में मानव अधिकार दायित्वों के निर्वाह का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

(ग) राज्य दायित्वों का कार्यान्वयन

21. राज्यों को सुनिश्चित करना होगा कि बेदखली केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही की जाए। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अधिकारों पर बेदखली के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए यह ज़रूरी है कि बेदखली के लिए उचित व पूरे जायज़ कारण प्रस्तुत किए जाएं। किसी भी बेदखली के लिए निम्न आवश्यक हैं: (क) कानूनी सहमति; (ख) अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अनुकूल कार्यान्वयन; (ग) सामान्य कल्याण का उद्देश्य[घ]; (घ) संतुलित व तर्कसंगत; (च) पूरा व न्यायसंगत मुआवज़ा तथा बहाली; (छ) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुकूल कार्यान्वयन। इन कार्यविधि आवश्यकताओं द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा सभी प्रभावित लोगों व समूहों पर लागू होती है, चाहे स्थानीय कानून के तहत उनको आवास व सम्पत्ति का हक़ मुहैया हो अथवा नहीं।

22. राज्य को ऐसे कानून व नीतियां बनानी चाहिए जो उन सभी बेदखलियों पर प्रतिबंध लगाएं जो उसके अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दायित्वों के अनुकूल न हों। जहां तक संभव हो, राज्यों को ऐसे आवास या भूमि अधिग्रहण या कब्ज़े से बचना चाहिए जिसमें मानव अधिकार उल्लंघन की गुंज़ाइश हो। उदाहरण के लिए, गरीब, कमज़ोर व हाशिये के व्यक्तियों, समूहों व समुदायों के हित के लिए की गई बेदखली जिसका उद्देश्य भूमि सुधार या पुनर्वितरण हो, न्यायसंगत मानी जा सकती है। राज्यों द्वारा उन सभी सार्वजनिक या निजी व्यक्तियों या पक्षों पर दीवानी या फौजदारी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो उसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी बेदखली के लिए जिम्मेदार हों, जिसे कानूनी व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के अनुसार नहीं किया गया हो। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जबरन बेदखली से पीड़ित, अरक्षित और सुरक्षा चाहने वाले व्यक्तियों को उचित प्रतिकार व कानूनी सहायता मुहैया हो।

[घ] मौजूदा दिशानिर्देशों में सामान्य कल्याण का अर्थ है राज्यों द्वारा मानव अधिकार दायित्वों के अनुकूल उठाए गए कदम जिनसे अरक्षित व्यक्तियों व समूहों के मानव अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें।

23. राज्यों को अपने संसाधनों के अनुसार ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे उपयुक्त आवास का अधिकार सबको समान रूप से मिल सकें। यह राज्यों का दायित्व है कि वह व्यक्तियों, समूहों व समुदायों को मानव अधिकार मानकों के प्रतिकूल बेदखली से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तात्कालिक कानून व नीतियां अपनाए।[च]

24. राज्यों को अपने सभी राष्ट्रीय कानूनों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए जिनसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों से उनकी अनुकूलता स्थापित हो सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उपयुक्त आवास का मानव अधिकार सभी को बिना किसी भेदभाव (कानूनी या अन्य भेदभाव) के आधार पर मुहैया किया जा रहा है। इस समीक्षा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मौजूदा कानून, नियंत्रण व नीतियां, सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण, उत्तराधिकार व सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के अनुकूल हों और इनकी परिणति जबरन बेदखली के रूप में न हो।[छ]

25. जबरन बेदखली से अपने अधिकार क्षेत्र में बसने वाले प्रत्येक नागरिक को सर्वाधिक कानूनी सुरक्षा प्रदान करना राज्यों का दायित्व है। इसके लिए उन व्यक्तियों, परिवारों व समुदायों को कानूनी रूप से काश्तकार की अवधि सुरक्षा दिलाने के लिए तात्कालिक कदम उठाए जाने चाहिए जिनके पास आवास व भूमि के औपचारिक पट्टे नहीं हैं।

26. राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयुक्त आवास का अधिकार महिला व पुरुष दोनों को समान रूप से मिले। इसके लिए राज्यों को, जबरन बेदखली से महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए विशेष कदम उठाने व कार्यान्वयन करना होगा। इन प्रयासों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवास व भूमि के पट्टे महिलाओं के नाम पर हों।

27. राज्यों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, जैसे व्यापार व निवेश, बहुपक्षीय मंचों व संगठनों में विकास सहायता व भागीदारी और मानव अधिकार मानक, सभी को बाध्यकारी ढंग से लागू किए जाएं। राज्यों को दाता या लाभार्थी के रूप में अपने मानव अधिकार

[च] आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार कमेटी द्वारा 1990 में अपनाई गई, राज्य पक्षों के दायित्वों के स्वरूप पर सामान्य टिप्पणी संख्या 3 देखें।

[छ] मानव अधिकार आयोग की 2002 में आवास व भेदभाव पर दिशानिर्देश देखें, जिसमें उपयुक्त आवास के विशेष प्रतिनिधि ने उपयुक्त आवास को उपयुक्त जीवनशैली का हिस्सा बताया है। (E/CN.4/2002/59)

उत्तरदायित्वों का क्रियान्वयन करना होगा।[ज] उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व है, वे किसी ऐसी परियोजना, कार्यक्रम या नीति को सहयोग देने या लागू करने से परहेज़ करें जिनमें जबरन बेदखली शामिल हो। खास तौर से ऐसी बेदखली जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार या मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुकूल न हो।

(च) निरोधक रणनीतियां, योजनाएं व कार्यक्रम

28. व्यक्तियों, समूहों व समुदायों की जबरन बेदखली व उसके प्रभावों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उचित रणनीतियां, योजनाएं व कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिए।

29. राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानदण्डों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए उचित रणनीतियों, योजनाओं व नीतियों की व्यापक समीक्षा भी करनी चाहिए। इस संदर्भ में समीक्षा के बाद उन सभी प्रावधानों को हटा देना चाहिए जो महिलाओं व कमज़ोर समूहों के प्रति असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रमों व नीतियों का निर्धारण व कार्यान्वयन भेदभाव रहित हो तथा वे शहरी व ग्रामीण हाशिये पर पड़े वर्गों को और गरीबी में न धकेले, सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

30. ज़मीन की सट्टेबाजी व खरीद-फरोख्त जैसे जबरन बेदखली के कारणों की रोकथाम व खात्मे के लिए राज्यों द्वारा विशेष निरोधक कदम उठाए जाने चाहिए। राज्यों को आवास व उससे जुड़े किराए के बाज़ारों की कार्यप्रणाली व नियंत्रण की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप भी करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि बाज़ारीकरण के कारण अल्प-आय व अन्य हाशिये के समूह जबरन बेदखली के प्रति और ज्यादा अरक्षित न हों। आवास व भूमि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर राज्यों द्वारा नागरिकों को भौतिक व आर्थिक दबावों

[ज] सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र की धारा 22; संयुक्त राष्ट्र अधिकार-पत्र की धारा 55/ 56; आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय उपसंव्दा की धारा 2 (अनुच्छेद 1, 11, 15, 22, 23), तथा बाल अधिकार प्रतिज्ञा-पत्र की धारा 23 (अनुच्छेद 4), और धारा 28 (अनुच्छेद 3) में प्रस्तुत है।

से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे वे उपयुक्त आवास व भूमि से वंचित न हों।

31. बुजुर्गों, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों व अन्य कमज़ोर वर्गों को आवास व भूमि आबंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

32. राज्यों को चाहिए कि वे विस्थापन कम करने वाली रणनीतियों की खोज करें। किसी भी परियोजना, जिसमें विकास आधारित बेदखली व विस्थापन होने की संभावना हो, उसकी शुरुआत से पहले एक व्यापक व समग्र प्रभाव आधारित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों, समूहों व समुदायों के मानव अधिकारों की रक्षा तथा जबरन बेदखली से बचाव सुनिश्चित किया जा सकता है। ''बेदखली के प्रभाव पर आधारित मूल्यांकन'' के दौरान क्षति को कम करने वाली रणनीतियों तथा विकल्पों की तलाश भी शामिल की जानी चाहिए।

33. बेदखली के प्रभाव पर आधारित मूल्यांकन में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व हाशिये के समूहों पर पड़ने वाले विविध प्रभावों का जायज़ा लिया जाना चाहिए। यह मूल्यांकन अलग-अलग श्रेणी के आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए जिससे विविध प्रभावों को पहचान कर उन्हें संबोधित किया जा सके।

34. विकास परियोजनाओं की परिकल्पना, प्रशासन व कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेवार व्यावसायिक वकीलों, कानूनी प्रवर्तकों, शहरी व क्षेत्रीय योजनाकारों तथा अन्य अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानक लागू करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण दिये जाने चाहिए। इस प्रशिक्षण में महिलाओं के विशेष अधिकारों की जानकारी, जिसमें आवास व भूमि से जुड़े उनके सरोकारों व आवश्यकताएं भी शामिल हों, का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

35. राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जबरन बेदखली से सुरक्षा संबंधी सभी नीतियों, कानूनों व मानव अधिकारों की ज़रूरी जानकारी उचित समय पर, सही तरीकों (जैसे अन्य सांस्कृतिक माध्यमों) द्वारा बेदखली से अरक्षित समूहों तक पहुंचे।

36. राज्यों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यक्ति, समूह व समुदाय उस समय बेदखली से सुरक्षित रहें जब उनके मामले की सुनवाई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय कानूनी निकाय के समक्ष विचाराधीन हो।

III. बेदखली से पहले

37. शहरी या ग्रामीण नियोजन व विकास प्रक्रियाओं में प्रभावित लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। साथ ही निम्न कारकों की मौजूदगी आवश्यक है: (क) सभी प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को कानूनी सूचना दी जानी चाहिए कि बेदखली हो सकती है तथा प्रस्तावित योजनाओं व विकल्पों पर जन सुनवाई की जाएगी; (ख) संबंधित अधिकारियों द्वारा अग्रिम सूचना का वितरण किया जाना चाहिए जिससे ज़मीन के पट्टे संबंधी, पुनर्वास योजनाओं व हाशिये के समूहों की सुरक्षा को संबोधित करने वाली योजनाओं की भी जानकारी शामिल हो; (ग) प्रस्तावित योजना पर सार्वजनिक समीक्षा, टिप्पणी व एतराज के लिए उचित समय अवधि; (घ) प्रभावित व्यक्तियों को उनके अधिकारों व विकल्पों से जुड़ी कानूनी, तकनीकी व अन्य सलाह का प्रावधान व अवसर; (च) प्रभावित व्यक्तियों व उनके वकीलों को बेदखली के निर्णय को चुनौती देने / वैकल्पिक सुझावों की पेशकश व अपनी विकास आधारित मांगे व ज़रूरतें मुखरित करने के लिए जन सुनवाई के आयोजन का मौका।

38. राज्यों को चाहिए कि वे बेदखली के सभी संभावित विकल्पों का जायज़ा लें। सभी प्रभावित होने वाले व्यक्तियों व समूहों, जिनमें महिलाएं, मूलवासी लोग, विकलांग व्यक्ति व प्रभावितों के लिए काम कर रहे पक्ष शामिल हैं, को उचित जानकारी, परामर्श व प्रक्रिया में भागीदारी व अधिकारियों को वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार है। प्रस्तावित विकल्प पर संबद्ध पक्षों की सहमति न बन पाने पर एक स्वायत्त, संवैधानिक ईकाई जैसे न्यायालय, अधिकरण अथवा कचहरी द्वारा मध्यस्थता, फैसला या समझौता कराने का प्रयास किया जाना चाहिए।

39. योजना निर्धारित करने की प्रक्रिया में सभी प्रभावित व्यक्तियों जिनमें महिलाएं, हाशिये के व अरक्षित समूह भी शामिल हों, को विचार विमर्श व संवाद के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। फिर चाहे इसके लिए कोई विशेष कार्यविधि या कदम ही क्यों न उठाने पड़ें।

40. किसी भी बेदखली से पहले प्रशासन को यह प्रदर्शित करना होगा कि बेदखली अनिवार्य है तथा जनकल्याण सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रतिबद्धता के अनुकूल है।

41. बेदखली संबंधी सभी निर्णयों की जानकारी स्थानीय भाषाओं में व सभी संबंधित लोगों तक अग्रिम रूप से पहुंचाई जानी चाहिए। बेदखली नोटिस में इस निर्णय के विस्तारित विवरण के साथ-साथ निम्न का भी उल्लेख किया जाना चाहिए: (क) उचित विकल्प का अभाव; (ख) प्रस्तावित विकल्प का पूरा ब्योरा; (ग) जहां विकल्प असंभव हो वहां बेदखली के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए उठाए कदम। सभी अंतिम निर्णयों की प्रशासनीय व कानूनी समीक्षा की जानी चाहिए। प्रभावित पक्षों को समय पर और जहां जरूरत हो, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

42. बेदखली के अग्रिम नोटिस मिलने पर प्रभावित लोगों को अपनी सम्पत्ति निवेश व भौतिक वस्तुओं, जिनको क्षति पहुंचने की संभावना है, की सूची बनाने का अवसर मिलना चाहिए। बेदखली से पीड़ितों को अपनी गैर-वित्तीय क्षति का जायज़ा लेकर उसका मुआवज़ा तय करने का भी अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

43. बेदखली का मतलब यह नहीं है कि बेघर होने के साथ-साथ लोगों के अन्य मानव अधिकारों का भी हनन् हो। राज्यों को अपने संसाधनों के अनुसार उन सभी लोगों के लिए, जो अपनी देखभाल करने में अक्षम है यथासंभव उचित कदम उठाने होंगे। इनमें उपयुक्त वैकल्पिक आवास, पुनर्वास व उपजाऊ भूमि का आबंटन भी किया जा सकता है। बेदखल लोगों के लिए वैकल्पिक आवास उनके पूर्व घरों व आजीविका स्रोतों के निकट होने चाहिए।

44. समस्त पुनर्वास प्रयास जैसे घरों का निर्माण, जल, बिजली, शौच, विद्यालय, सड़क सुविधाएं व भूमि और स्थलों का आबंटन मौजूदा दिशानिर्देशों व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सिद्धान्तों के अनुकूल व बेदखली से पहले पूरे होने चाहिए।[झ]

IV. बेदखली के दौरान

45. बेदखली की कार्यविधि के दौरान मानव अधिकार मानकों के सम्मान की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अफसरों या उनके प्रतिनिधियों का बेदखली स्थल पर मौजूद होना अनिवार्य है। बेदखली का कार्यान्वयन

[झ] मौजूदा दिशानिर्देशों का खण्ड 5 देखें।

करने वाले सरकारी अफसरों, प्रतिनिधियों व अन्य संबद्धित व्यक्तियों को अपनी शिनाख्त व बेदखली की औपचारिक कार्रवाई के दस्तावेज़ प्रभावित पक्षों को दिखाने होंगे।

46. बेदखली के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों का पालन व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों को बेदखली स्थलों का दौरा करने की अनुमति होनी चाहिए।

47. बेदखली प्रभावित लोगों के जीवन व सुरक्षा के मानव अधिकार तथा सम्मान को बरकरार रखते हुए की जानी चाहिए। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बेदखली के दौरान औरतों के साथ हिंसा या भेदभाव न हो तथा बच्चों के मानव अधिकार सुरक्षित रहें।

48. बेदखली के दौरान बल का कानूनी प्रयोग, आवश्यकता व आनुपातिकता के नियमों का सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। साथ ही कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बल एवं आग्नेय अस्त्र प्रयोग से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रवर्तन व मानव अधिकार मानकों को मानते हुए, राष्ट्रीय व स्थानीय आचार संहिता का भी ऐसे मामलों में ध्यान रखा जाना चाहिए।

49. बेदखली, प्रतिकूल मौसम, रात के समय, त्यौहारों या धार्मिक अवकाशों, चुनाव से पहले या स्कूल की परीक्षा से पहले या दौरान नहीं की जानी चाहिए।

50. राज्यों व उनके पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्यक्ष या परोक्ष हिंसा की वारदातें विशेषतः औरतों व बच्चों के प्रति न हों। साथ ही तोड़-फोड़ के कारण किसी की सम्पत्ति या सामान पर अवैध कब्ज़ा, जानबूझ कर पहुंचाई गई क्षति, उपेक्षा या सामूहिक दण्ड जैसी वारदातें भी न हों। स्वेच्छा से पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति या सामान को अवैध व मनमाने कब्ज़े, उपयोग और लूटपाट से सुरक्षित रखना भी राज्यों के दायित्वों में शामिल है।

51. प्रशासन या उसका कोई भी प्रतिनिधि किसी भी बेदखल व्यक्ति या समूह को अपने घर या आवास के ढ़ांचे को तोड़ने के लिए न ही बाध्य कर सकता है न ही उन पर ऐसा करने के लिए ज़ोर डाल सकता है। प्रभावितों को यह अवसर अवश्य प्रदान किया जा सकता है जिससे वे निर्माण सामग्री व अन्य सामान की हिफाज़त खुद कर सकें।

V. बेदखली के बादः तात्कालिक राहत व स्थानांतरण

52. मुआवज़ा, वैकल्पिक आवास या वापसी (जहां सम्भव हो) मुहैया कराने के लिए ज़िम्मेदार सरकार व अन्य पक्षों को बेदखली के फौरन बाद अपना काम मुस्तैदी से शुरू कर देना चाहिए। इस प्रक्रिया का केवल एक ही अपवाद है – फोर्स मेजर (force majeure)। कम से कम, बिना किसी भेदभाव या परिस्थितियों से प्रभावित होकर, सक्षम अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बेदखल व्यक्ति या समूह, विशेषकर वे जो अपनी देखभाल स्वयं करने में असमर्थ हैं, उनके पास निम्न सुविधाएं उपलब्ध होंः (क) आवश्यक भोजन, पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय सुविधा; (ख) मूल आश्रय व आवास; (ग) पर्याप्त कपड़े; (घ) आवश्यक चिकित्सीय सेवाएं; (च) आजीविका के स्रोत; (च) मवेशियों के लिए चारा व पूर्व-आश्रित साझे संसाधनों पर हक़; (छ) बच्चों की शिक्षा व देखभाल सुविधा। राज्यों को यह भी ध्यान रखना होगा कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य बेदखली के दौरान अलग-थलग न हो जाएं।

53. बेदखली के बाद, सभी नियोजन की प्रक्रियाओं और मूल सेवाओं व साधनों के वितरण में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

54. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के मानव अधिकार की पूर्णतः सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि बीमार, घायल व विकलांग बेदखल व्यक्तियों को बगैर विलम्ब पूरी चिकित्सीय सेवा व देखभाल प्रदान की जाए तथा इस दौरान गैर-चिकित्सीय आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। जहां आवश्यक हो वहां सामाजिक व मनोवैज्ञानिक सेवाएं भी मुहैया होनी चाहिए। स्थानांतरण के दौरान निम्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिएः (क) महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों की पूर्ति हो जिसमें शामिल हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, तथा यौन हिंसा व उत्पीड़न से ग्रस्त महिलाओं के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध हों; (ख) यह सुनिश्चित करना कि दीर्घकालीन इलाज व चिकित्सा में बाधा न आए; (ग) स्थानांतरित स्थलों पर संक्रामक व छूत के रोगों से बचाव के साधन उपलब्ध हों, खासकर *एचआईवी / एड्स* जैसे रोग।

55. चिन्हित स्थानांतरण स्थल, अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों पर खरे उतरने चाहिए। उनमें उपयुक्त आवास के निम्न मापदण्डों की मौजूदगी

अनिवार्य है[ट]: (क) काश्तकारी की अवधि सुरक्षा; (ख) आवश्यक सेवाएं, सामग्री, सुविधाएं व ढांचागत आपूर्ति जैसे पीने का साफ पानी, पकाने, सेंकने व रोशनी के लिए ईंधन / ऊर्जा, नहाने-धोने की सुविधा, भोजन एकत्रण की सुविधा, कूड़ा फेकने व साफ-सफाई सुविधा, आपातकालीन सेवाएं, प्राकृतिक व साझे संसाधनों तक पहुंच; (ग) सस्ते घर और आवास; (घ) रिहाइश योग्य मकान जिनमें रहने वाले शारीरिक रूप से सुरक्षित हों और जो उनकी, सर्दी, गर्मी, सीलन, बारिश व आंधी से हिफाज़त करे। साथ ही जहां वे ढांचागत खतरों और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से सुरक्षित हों; (च) अक्षम समूहों के लिए सुविधाजनक पहुँच; (छ) शहरी या ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के विकल्प या आयाम, स्वास्थ्य सेवाओं, विद्यालयों, बालवाड़ी केन्द्रों व अन्य सामाजिक स्थलों से नज़दीकी; (ज) सांस्कृतिक रूप से सही आवास। आवास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आवास के हक़ में निम्न मानकों की मौजूदगी आवश्यक होनी चाहिएः सुरक्षा व गोपनीयता, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी, हिंसा से मुक्ति और किसी भी संकट व हनन् से निपटने के साधन।

56. पुनर्वास व मौजूदा दिशानिर्देशों के बीच तालमेल निर्धारित करने के लिए राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुनर्वास का प्रत्येक मामला निम्न मापदण्डों के अनुकूल होः

(क) कोई भी पुनर्वास तब तक नहीं किया जा सकता जब तक मौजूदा दिशानिर्देशों व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सिद्धान्तों के अनुकूल एक समग्र पुनर्वास नीति निर्धारित न की जाए।

(ख) पुनर्वास के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं, बच्चों, मूलवासी व अन्य अरक्षित समूहों के मानव अधिकार, जिनमें सम्पत्ति व संसाधनों तक पहुंचने का हक़ भी शामिल है, सुरक्षित रहें।

(ग) पुनर्वास का प्रस्ताव रखने वाले तथा उसके क्रियान्वयन से संबंधित पक्षों को पुनर्वास से जुड़े सभी खर्चे वहन करने होंगे।

(घ) बेदखली से प्रभावित किसी भी व्यक्ति, समूह या समुदाय के मानव अधिकारों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। उनके जीवन स्तर

[ट] आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कमेटी द्वारा 1991 में अपनाई गई उपयुक्त आवास के अधिकार पर सामान्य टिप्पणी संख्या 4 देखें।

में निरन्तर सुधार के अधिकार पर भी कोई अवरोध नहीं लगाया जा सकता। यह प्रावधान पुनर्वास स्थल पर बसे हुए समुदायों के अलावा बेदखली से प्रभावित व्यक्तियों, समूहों व समुदाय सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा।

(च) स्थानांतरण से पहले प्रभावित व्यक्तियों, समूहों व समुदायों की (पुनर्वास के लिए) सूचना आधारित सहमति होना आवश्यक है। पुनर्वास स्थल पर सभी मूल सुविधाएं, सेवाएं व आर्थिक अवसर प्रदान करना राज्यों के दायित्वों में शामिल है।

(छ) यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि पुनर्वास स्थल पर बसे अल्प-आय के परिवारों को अपने कार्यस्थल व आवश्यक सेवाओं के लिए यातायात के किराये-भाड़े पर अत्यधिक खर्च न करना पड़े।

(ज) पुनर्वास स्थल प्रदूषित भूमि या दूषित वातावरण वाले क्षेत्र के आसपास नहीं होने चाहिए, जिससे निवासियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को कोई क्षति न पहुंचे।

(झ) प्रभावित व्यक्तियों, समूहों व समुदायों को पुनर्वास संबंधी सभी राजकीय परियोजनाओं, योजनाओं व कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के बारे में और बेदखली स्थल के उपयोग व उसके लाभार्थियों के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रक्रिया में मूलवासी व अल्पसंख्यक समूहों, महिलाओं, बच्चों व भूमिहीन वर्गों की समान भागीदारी निश्चित हो।

(ट) पुनर्वास प्रक्रिया प्रभावित व्यक्तियों, समूहों व समुदायों की सम्पूर्ण भागीदारी के साथ क्रियान्वित की जाएगी। राज्यों को चाहिए कि वे प्रभावित व्यक्तियों, समूहों व समुदायों द्वारा प्रस्तावित विकल्पों का पूरा जायज़ा लें।

(ठ) न्यायसंगत जनसुनवाई के पूर्ण होने पर अगर यह निष्कर्ष निकलता है कि पुनर्वास किया जाना ज़रूरी है तब प्रभावित व्यक्तियों, समूहों व समुदायों को बेदखली की तारीख से पहले, कम से कम 90 दिनों का अग्रिम नोटिस दिया जाएगा।

(ड) पुनर्वास के दौरान स्थानीय अफसर, व निष्पक्ष प्रेक्षकों की मौजूदगी

अनिवार्य है जिससे पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान बल, हिंसा या दबाव का प्रयोग न हो।

57. बहाली से जुड़ी नीतियों में महिलाओं, हाशिये पर व अरक्षित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए जिससे वे अपने आवास, भोजन, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम के मानव अधिकार तथा व्यक्तित्व व घर की सुरक्षा कर सके और क्रूर, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार से मुक्त रहें तथा आवाज़ाही स्वतंत्रता के हक़ का समान लाभ उठा सकें।

58. बेदखली से पीड़ित व्यक्तियों, समूहों व समुदायों के मानव अधिकारों को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए तथा उनके उपयुक्त आवास के अधिकार की पूर्ति के प्रयास जारी रहने चाहिए। यह प्रावधान स्थानांतरित स्थल पर बसे हुए सभी समुदायों पर भी समान रूप से लागू किया जाएगा।

VI. जबरन बेदखली का विरोध

59. जबरन बेदखली से जूझ रहे या इससे पीड़ित व्यक्तियों को समयोचित प्रतिकार का अधिकार है। उचित प्रतिकारों में न्यायपूर्ण सुनवाई, कानूनी सहायता, वकील व परामर्श, वापसी, पुनर्स्थापन, पुनर्वास, बहाली व मुआवज़ा शामिल हैं। इन सभी प्रतिकारों का पालन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के घोर उल्लंघन से पीड़ितों के प्रतिकार व क्षतिपूर्ति अधिकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकोपकारी कानून के गंभीर उल्लंघन से जुड़े मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देशों के अनुकूल किया जाना चाहिए।

(क) मुआवज़ा

60. जब बेदखली अनिवार्य हो और सामान्य कल्याण की बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण, हो तब राज्य को चाहिए कि वह व्यक्ति, सामान व सम्पत्ति की क्षति के लिए उचित व न्यायोचित मुआवज़ा प्रदान करे, जिसमें सम्पत्ति पर अधिकार व ब्याज़ शामिल हो। मुआवज़ा, उल्लंघन की गंभीरता व परिस्थिति अनुसार तय किया जाना चाहिए – जैसे मृत्यु या अंग-भंग; शारीरिक व मानसिक कष्ट; रोज़गार, शिक्षा व सामाजिक सुविधा प्राप्ति के अवसरों से वंचित होना; कमाई अथवा सामान की क्षति व आजीविका सामर्थ्य से वंचित होना; नैतिक क्षति; तथा कानूनी व व्यवसायिक सेवाओं, स्वास्थ्य व चिकित्सीय सेवाओं और सामाजिक व मनोवैज्ञानिक सेवाओं के लिए आर्थिक साधनों की कमी होने पर। किसी भी ज़मीन व साझी

सम्पत्ति या संसाधनों के एवज़ में नकद मुआवज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। जहां भूमि का अधिग्रहण किया गया हो वहां बेदखल लोगों व समूह को उसी गुण, माप, मूल्य या उससे बेहतर स्तर की ज़मीन का आबंटन किया जाना चाहिए।

61. सभी बेदखल लोगों को, चाहे उनके पास सम्पत्ति अधिकार-पत्र हो या नहीं, अपनी सम्पत्ति की क्षति, बचाव, यातायात व भूमि अथवा आवास के नुकसान के एवज़ में मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। मुआवज़े की रकम हर परिस्थिति का पूरा जायज़ा लेकर तय की जाएगी तथा इस श्रेणी में अनौपचारिक सम्पत्ति, जैसे झुग्गी-झोपड़ियां भी शामिल होंगी।

62. मुआवज़े का लाभ महिला-पुरुष दोनों को समान रूप से पहुंचना चाहिए। एकल व विधवा महिलाओं को भी मुआवज़ा पाने का अधिकार है।

63. जहां तक संभव हो सके, स्थानांतरण सहायता का आर्थिक मूल्यांकन करते समय, क्षति व मूल्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भूमि व आवास ढांचा; आधारभूत ढांचा; गिरवी व ऋण अनुबंध; अंतरिम आवास; कानूनी व प्रशासनिक शुल्क; वैकल्पिक आवास; आय व वेतन हानि; शैक्षिक अवसरों की क्षति; स्वास्थ्य व चिकित्सीय सुविधा; तथा यातायात व पुनर्वास से जुड़े खर्चे (विशेषतः अगर आजीविका स्रोत स्थानांतरित क्षेत्र से दूर हो)। जहां भूमि व आवास आजीविका स्रोत भी हैं, वहां क्षति मूल्यांकन व प्रभाव के समय व्यापार क्षति, उपकरण, वेतन व आमदनी के नुकसान की भी भरपाई की जानी चाहिए।

(ख) पुनर्स्थापन व वापसी

64. हालांकि विकास व आधारभूत परियोजनाओं से जुड़ी जबरन बेदखली की परिस्थितियों में शायद ही कभी पुनर्स्थापन व वापसी की गुंजाइश होती हो (इसमें उपर्युक्त अनुच्छेद 8 के विवरण भी शामिल हैं), फिर भी राज्यों का जबरन बेदखली से पीड़ित व्यक्तियों, समूहों व समुदायों के पुनर्स्थापन व वापसी के अधिकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। यद्यपि इन व्यक्तियों, समूहों व समुदायों को अपने घरों, भूमि व मूल जन्म स्थानों पर वापसी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

65. जहां वापसी संभव हो तथा जहां इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त पुनर्वास नहीं किया गया हो, वहां प्रशासन को ऐसे साधन व परिस्थितियां

निर्धारित करनी चाहिए जिनमें लोगों / समूहों का सुरक्षा व सम्मान के साथ अपने आवास व रिहाइशी इलाकों में पुनर्स्थापन हो सके। इन ज़िम्मेदारियों को निभाने वाले अधिकारियों को वापसी की प्रक्रिया के नियोजन व प्रशासन में लोगों को भागीदार बनाने की यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उन्हें ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि वापस लौटने वाले लोग उस माहौल में पुनः घुल-मिल जाएं। वापसी व पुनर्स्थापन प्रक्रियाओं में महिलाओं की समान व प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। इससे महिलाओं के अलगाव और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले घरेलू, सामाजिक, ढांचागत, प्रशासनिक, कानूनी व सामाजिक लिंग *(जेंडर)* आधारित पूर्वग्रहों को कम किया जा सकेगा।

66. अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी व दायित्व है कि वे वापस लौटने वाले व्यक्तियों, समूहों व समुदायों को बेदखली के समय पीछे छूट गई सम्पत्ति व सामान को वापस हासिल करने में यथासंभव सहयोग करें।

67. जहां वापसी अथवा पुनर्स्थापन या सम्पत्ति की बहाली होने की संभावना न हो, वहां प्रशासन द्वारा बेदखली के पीड़ितों को उचित मुआवज़ा व बहाली के अन्य साधन दिलवाने में सहयोग करना चाहिए।

(ग) पुनर्वास व बहाली

68. हालांकि सभी पक्षों द्वारा वापसी के अधिकार को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए, परन्तु कुछ हालात ऐसे भी हो सकते हैं (जैसे सामान्य कल्याण की परिस्थित या फिर जहां सुरक्षा, स्वास्थ्य व मानव अधिकार की मांग यही हो), जिनमें विकास आधारित बेदखली से गुज़रे व्यक्तियों, समूहों व समुदायों का पुनर्वास आवश्यक हो। ऐसी परिस्थितियों में भी पुनर्वास न्यायपूर्ण व समतावादी प्रक्रिया तथा अंतरार्ष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अनुकूल किया जाना चाहिए (जैसे कि इन दिशानिर्देशों के खण्ड 5 में उल्लेख किया गया है)।

VII. निगरानी, मूल्यांकन व अनुवर्तन

69. राज्यों को अपने क्षेत्र व प्रशासनिक इलाकों में होने वाली जबरन बेदखली की संख्या, स्वरूप व दीर्घकालीन प्रभावों को आंकने के लिए

गुणात्मक व मात्रात्मक मूल्यांकन तथा सक्रिय निगरानी करनी चाहिए। इस मूल्यांकन से निकली रिपोर्ट व परिणामों की जानकारी संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पक्षों व आम जनता को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होनी चाहिए। इससे, इनमें दर्ज सुझावों के आधार पर श्रेष्ठ प्रक्रियाओं व समस्याओं के समाधान से जुड़े अनुभवों या विकल्पों का विकास किया जा सकता है।

70. राज्यों को जबरन बेदखली के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून व इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी व जांच-पड़ताल करने की ज़िम्मेदारी एक स्वायत्त राष्ट्रीय निकाय जैसे किसी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था को सौंप देनी चाहिए।

VIII. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं व विश्व समुदाय की भूमिका

71. यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है कि वह आवास, सम्पत्ति व भूमि के मानव अधिकार की सुरक्षा करे व उन्हें बढ़ावा दे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय, व्यापार, विकास व अन्य संस्थान जिनमें प्रदाता राज्य व उनके सदस्य भी शामिल हों और जिनके पास इन संस्थानों में मतदान अधिकार मुहैया हो, उनको अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून व संबंधी मानकों के अंतर्गत जबरन बेदखली पर प्रतिबंध लगाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

72. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अपने ही प्रक्रियाओं व नीतियों के कारण होने वाली जबरन बेदखली के मामलों से निपटने के लिए शिकायत प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रावधान के अंतर्गत पीड़ितों को दिशानिर्देशों के अनुकूल कानूनी सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए।

73. बहुराष्ट्रीय निगमों व अन्य व्यापार संघों को भी अपने कार्य क्षेत्र व प्रभावी इलाकों में जबरन बेदखली पर प्रतिबंध लागू करके, उपयुक्त आवास के मानव अधिकार का सम्मान करना चाहिए।

IX. व्याख्या

74. विकास आधारित बेदखली व विस्थापन संबंधी इन दिशानिर्देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों तथा शरणार्थी, फौजदारी अथवा लोकोपकारी कानून व संबद्धित मानकों, और प्रासंगिक राष्ट्रीय कानूनों व मानकों के अंतर्गत दिए गए अधिकारों, को सीमित, परिवर्तित अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं समझा जाना चाहिए।

परिशिष्ट

1. उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि की रिपोर्ट, मिलून कोठारी, E/CN.4/2006/41, 21 March 2006

2. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शहरी आवास संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार

3. राष्ट्रीय शहरी आवास व निवास स्थल नीति 2007, भारत सरकार

4. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शहरी आवास संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

5. सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में इसका उल्लेख हैः *फ्रांसिस कोराली मुलिन बनाम दिल्ली केन्द्र शासित क्षेत्र* [(1981) 1 एससीसी 608], *ऑल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर पालिका* [(1985) 3 एससीसी 545]; *शांतिस्टार बिल्डर बनाम नारायण खीमालाल टोटामे* [(1990) 1 एससीसी 520]; *चमेली सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* [(1996) 2 एससीसी 549]। अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधिदायित्वों के अनुमोदन पर ज़ोर देने वाले निर्णयों में यह शामिल हैः *भारतीय ग्रामोफोन कम्पनी बनाम बी.बी पांडे* [(1984) 2 एससीसी 534]; *सीईआरसी बनाम भारत सरकार* [(1995) 5 एससीसी 125]; तथा *पीयूसीएल बनाम भारत सरकार* [(1997) 3 एससीसी 433]

6. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार कमेटी 1991, छठा सत्र, अनुच्छेद 7 व 8 की सामान्य टिप्पणी 4 उपयुक्त आवास का अधिकार [(*आईसीईएससीआर* उपसंव्दा की धारा 11(1)]।

7. इनमें आवास और भूमि अधिकार संगठन शामिल हैं (www.hlrn.org) उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि की रिपोर्ट देखें (http://www.ohchr.org/english/issues/housing/index.htm), विशेषकर महिलाएं व आवास पर प्रश्नावली, परिशिष्ट 3, A/HRC/4/18, February 2007 (http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/106/28/PDF/G0710628.pdf? Open Element)

8. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार कमेटी, 1997, छठा सत्र, अनुच्छेद 3 की सामान्य टिप्पणी 7, उपयुक्त आवास का अधिकार (*आईसीईएससीआर* उपसंव्दा की धारा 11.1)

9. उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि की रिपोर्ट में *मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश* शामिल किए गए हैं, मिलून कोठारी, A/HRC/4/18, February 2007] *ऑनलाइन* उपलब्ध – http://ohchr.org/english/issues/housing/annual.htm

10. मानव अधिकार परिषद प्रस्ताव 6/27, A/HRC/6/L.11/Add. 1, 19 December 2007, *ऑनलाइन* उपलब्ध – http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_27.pdf

■ शब्दावली

विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश

मूल	basic
सिद्धांत	principles
दिशानिर्देश	guidelines
राज्य / राज्यों	state / states (to read as nations or countries)
खण्ड	section
अनुच्छेद	paragraph
धारा	article
सामान्य टिप्पणी	general comment
प्रतिज्ञा-पत्र	convention
घोषणा-पत्र	declaration
उपसंव्दा	covenant
मापदण्ड	criteria
मानदण्ड	standards/ norms
आपत्ति / एतराज़	objection
फोर्स मेजर	force majeure
दीवानी	civil
फौजदारी	criminal
जबरन बेदखली	forced eviction
विस्थापन	displacement
विकास	development
उपयुक्त आवास	adequate housing
मानव अधिकार	human right
पहुंच	accessibility
वास योग्यता	habitability
आबंटन	distribution
काश्तकारी की अवधि सुरक्षा	security of tenure
स्थान की अनुकूलता	suitability of location
सांस्कृतिक अनुकूलता	cultural adequacy

वैकल्पिक आवास - alternative housing
बेघरवारी - homelessness
पुनर्वास - resettlement
बहाली - rehabilitation
पुनर्स्थापन - restitution
क्षतिपूर्ति - reparation
राहत - relief
शहरी नवीनीकरण - urban renewal
मनमाना - arbitrary
निष्कासन - expulsion
निष्क्रमण - exodus
जातीय शुद्धिकरण - ethnic cleansing
अशांति या अराजकता - disturbances
जमघटवादी - ghettoization
आवाजाही - mobility
सट्टेबाजी - speculation
प्रभाव आधारित मूल्यांकन - impact assessment
लाभार्थी - beneficiaries
अरक्षित - vulnerable
मूलवासी - indigenous
अल्पसंख्यक - minority
भूमिहीन - landless
शरणार्थी - refugee
नागरिक समाज - civil society
संविधान - constitution
बुनियादी अधिकार - fundamental rights
मार्गदर्शक सिद्धांत - directive principles
अनुवर्तन - follow up
लोकोपकारी कानून - humanitarian law
क्रियान्वयन - implementation
लागू करना / प्रवर्तन - enforcement
सार्वजनिक हित - public good

कानूनी सहायता	legal aid
अपरिहार्य परिस्थितियां	exceptional circumstances
सूचना आधारित सहमति	prior informed consent
तत्काल दायित्व का पालन	immediate obligation
पूर्ण न्यायसंगत	full justification
प्रक्रियात्मक गारंटी	procedural guarantees
प्रतिकार	remedies
अनुपातिकता	proportionality
आग्नेय अस्त्र	fire arms
एड्स	AIDS
एचआईवी	HIV
एससीसी	SCC (Superme Court Case)
विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश	Basic Principles and Guidelines on Development-based Evictions and Displacement
सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा-पत्र *(यूडीएचआर)*	Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
मानवाधिकार परिषद	Human Rights Council (HRC)
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग *(यूएनएचआरसी)*	United Nations Human Rights Commission (UNHRC)
अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून	International Human Rights Law
संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली	United Nations General Assembly
उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि	United Nations Special Rapporteur on Adequate Housing
आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार कमेटी *(सीईएससीआर)*	Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय उपसंव्दा *(आईसीईएससीआर)*	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
महिलाओं के प्रति भेदभाव के समस्त रूपों के बहिष्करण का प्रतिज्ञा-पत्र *(सीडो)*	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

नस्ल आधारित भेदभाव विरोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र - International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

बाल अधिकार प्रतिज्ञा-पत्र *(सीआरसी)* - Convention on the Rights of the Child (CRC)

शरणार्थियों के दर्जों से संबंधित प्रतिज्ञा-पत्र - Convention on the Status of Refugees

आंतरिक विस्थापन के निदेशक दिशानिर्देश - Guiding Principles on Internal Displacement

विकास आधारित विस्थापन पर समग्र मानव अधिकार दिशानिर्देश - Comprehensive Human Rights Guidelines on Development based Displacement

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन *(आईएलओ)* - International Labour Organisation (ILO)

स्वतंत्र राष्ट्रों के मूलवासी व आदिवासी तबकों से संबंधित प्रतिज्ञा-पत्र - Convention on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries

युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा से सम्बंधित जिनिवा प्रतिज्ञा-पत्र - Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के समग्र उल्लंघन व अंतर्राष्ट्रीय लोकोपकारी कानून के गंभीर हनन् से पीड़ित लोगों के लिए प्रतिकार व क्षतिपूर्ति अधिकार के मूल सिद्धान्त व दिशानिर्देश - Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law

शरणार्थी व विस्थापित व्यक्तियों के आवास व सम्पत्ति वापसी पर सिद्धान्त - Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons

आवास और भूमि अधिकार संगठन (हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क – *एचएलआरएन*)

आवास और भूमि अधिकार संगठन (*एचएलआरएन*), अंतर्राष्ट्रीय आवास सम्मिलन (हैबिटेट इंटरनेशनल कोआलिशन) का अभिन्न अंग है तथा उपयुक्त आवास व भूमि के मानव अधिकार की पहचान, सुरक्षा, प्रोत्साहन व कार्यान्वयन से जुड़ा है। उपयुक्त आवास के अधिकार के अन्तर्गत सभी लोगों को विशेषतः हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए शांति व सम्मान से रहने की उपयुक्त व सुरक्षित जगह उपलब्ध कराना शामिल है। *एचएलआरएन* के काम का एक मुख्य केन्द्र बिन्दु है महिलाओं के लिए आवास, भूमि, सम्पत्ति व उत्तराधिकार के लिए समान अधिकारों का प्रोत्साहन व सुरक्षा। *एचएलआरएन* अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पैरवी, शोध, मानव अधिकार शिक्षा तथा स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गठन जैसे माध्यमों से लोगों तक पहुंचता है।

वेबसाईटः www.hlrn.org.in

उपयुक्त आवास का अधिकार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानव अधिकार है। यह अधिकार अनेक दूसरे मानव अधिकारों, जैसे सम्मानित जीवन जीने का अधिकार और भूमि, भोजन, काम, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत तथा घर की सुरक्षा के अधिकारों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु दुनिया की आधी आबादी के पास उपयुक्त आवास के लिए महत्वपूर्ण साधन मुहैया नहीं हैं।

जबरन बेदख़ली में बढ़ोतरी की वजह से विश्व स्तर पर आवास की मौजूदा कमी पर और ज़्यादा गम्भीर असर पड़ रहा है। भारत में चल रही बड़ी ढाँचागत विकास परियोजनाएं, शहरी नवीनीकरण व विस्तार और शहरी ''सुंदरीकरण'' प्रोजेक्ट, खेल-कूद के बड़े कार्यक्रम तथा औद्योगिक विकास – यह वो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से अनेकानेक लोगों को अपने घरों व आवास से बेदख़ल किया जा रहा है।

जबरन बेदख़ली अक्सर लोगों को बेघर और मज़लूम बना देती है और फिर उनके पास आजीविका कमाने के साधनों, प्रभावशाली कानूनी व प्रतिकार सुविधाओं तक पहुँच नहीं होती। जबरन बेदख़ली से कई मानव अधिकारों का हनन् होता है व इसका प्रभाव महिलाओं, बच्चों, गरीबों, जातीय या मूलवासी लोगों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य हाशिये के समूहों पर अधिक पड़ता है।

इस पुस्तिका में विकास आधारित बेदखली व विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों व दिशानिर्देशों के सार एवं मूल विषय-वस्तु दी गई है, जिसे उपयुक्त आवास पर सयुंक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् के समक्ष जून 2007 में पेश किया था।

जहाँ संभव हो सके वहाँ विस्थापन को कम करना तथा सतत् विकल्पों का आह्वान् करना, यह इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य है। अपरिहार्य बेदख़ली की परिस्थिति में, इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत कुछ खास मानव अधिकार मानकों का उल्लेख किया गया है जिनका हर हाल में पालन व सम्मान किया जाना आवश्यक है।

ये दिशानिर्देश अनेक तरह से उपयोगी हैं। इनका मकसद है कि विस्थापन व पुनर्वास और बहाली के लिए ज़िम्मेदार सभी पक्षों के व्यवहारों / प्रक्रियाओं व नीतियों में बेहतरी हो; विस्थापितों व विस्थापन का खतरा झेल रहे लोगों व उनका प्रतिनिधित्व कर रहे कार्यरत नागरिक समाज समूहों के बीच चेतना जागृति का विकास हो; उपयुक्त पुनर्वास व बहाली के मानकों की स्थापना हो तथा इन मामलों में सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही बढ़े।